जिला वार्षिक योजना

1980–81

जनपद –अल्मोड़ा

Lib, N... Systems Unit
Natio... ...te of Educational
Plann... ...ministration
17-B, S... ...Marg, New Delhi-110016
DOC. No.......
Date.........29/5/82

प्रेषक

अर्थ अधिकारी,
अल्मोड़ा

प्रेषित

निदेशक,
क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग,
राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0,
सातवा तल, जवाहर भवन,
लखनऊ ।

पत्रांक / वा0यो0/80-81 दिनांक मई 6, 1981

विषय:- वर्ष 1980-81 की जिला योजना का प्रेषण ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक समस्त अर्थ अधिकारियों को सम्बोधित अपने पत्रांक 6311/तीन-16/क्षे0नि0प्र0/80 दिनांक 19 मार्च 1981 का अवलोकन करें । इस सम्बन्ध में आपको वांछित वार्षिक योजना वर्ष 1980-81 की 10 प्रतियाँ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है ।

संलग्न:- योजना 1980-81
(10 प्रतियों में)

भवदीय,
(हस्ताक्षर) 6/5
(एन0 एस0 बहल)
अर्थ अधिकारी,
अल्मोड़ा

पत्रांक / वा0यो0/80-81 दिनांकित ।

प्रतिलिपि संयुक्त सचिव, उ0प्र0, शासन लखनऊ को उनके समस्त अर्थ अधिकारी उ0प्र0 को सम्बोधित पत्र संख्या 881/35-5-81-नियो0 5 दिनांक 6 मार्च 1981 के संदर्भ में 2 प्रतियों सहित सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न:- दो प्रतियां

(हस्ताक्षर) 6/5
(एन0 एस0 बहल)
अर्थ अधिकारी,
अल्मोड़ा ।

-3 अनुक्रमणिका :-

परिशिष्ट	मद	पृष्ठसंख्या
परिशिष्ट-1	भौतिक एवं भौगोलिक स्थिति	1,2
परिशिष्ट-2	जनसंख्या तथा व्यवसाय	3,4,5
परिशिष्ट-3	प्राकृतिक संसाधन	6,7,8
परिशिष्ट-4	योजना के उद्देश्य एवं रणनीति	9,10
परिशिष्ट-5	फलोपयोग एवं औद्यानिकी	11
	कृषि	11,12
	सहकारिता	12,13
	पेयजल ग्राम्य विकास	13
	लघु सिंचाई	14
	पौष्टिक आहार	14
	पशुपालन	15
	दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादन	15,16
	मत्स्य	16
	वन	17,18
	वृहत एवं मध्यम सिंचाई	18,19
	ग्रामीण विद्युतीकरण	19
	ग्रामीण लघु उद्योग	20
	हथकरघा एवं वस्त्रउद्योग	20
	सड़क	20,21
	पर्यटन	21
	शिक्षा	21,22
	प्राविधिक शिक्षा	23
	चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य	23
	हरिजन एवं समाज कल्याण	24
	बालाहार	24
	पंचायत	25
	जल-सम्भृति	25
	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	26

क्रमशः/:---2

पृष्ठ संख्या

रूपपत्र -1 वित्तीय अनुभाग	27 से 62
रूपपत्र -2 भौतिक लक्ष्य एवं पूर्ति	63 - 79
राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	80 - 85
जिले के आधारभूत आंकड़े	86 - 92

-:----------:-

परिच्छेद-एक

भौतिक एवं भौगोलिक स्थिति

जनपद अल्मोड़ा के उत्तर पूर्व में पिथौरागढ़, दक्षिण में नैनीताल तथा पश्चिम में चमोली जिले स्थित है। सम्पूर्ण जनपद ऊंची पर्वत श्रेणियों तथा घाटियों में बसा है। नदी व नालों के दोनों ओर की समतल भूमि तैरे नाम से जानी जाती है जो कृषि उत्पादन हेतु बहुत उपयोगी है।

जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल जनगणना 1971 के अनुसार 5460 वर्ग किलो मीटर है। क्षेत्रफल का 53प्रतिशत भाग वनों के अन्तर्गत और 22प्रतिशत भाग कृषि के अन्तर्गत है। वर्ष 1979-80 के अनुसार कृष्टभूमि का 11-10 प्रतिशत भाग सिंचित है।

जनपद तीन तहसीलों एवं 14 विकास खण्डों में विभाजित किया गया है। जनपद की जनसंख्या चार नगरीय क्षेत्र व 2967 ग्रामों में निवास करती है।

जनपद को भौगोलिक दृष्टि से तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है :-

1- समुद्र सतह से 750 मीटर से 1250 मीटर तक का भाग।

2- समुद्र सतह से 1250 मीटर से 1850 मीटर तक का भाग।

3- समुद्र सतह से 1850 मीटर से ऊंचा भाग।

जनपद का बहुत थोड़ा सा भाग समतल है। घाटियों के निकट स्थानों में गूलों द्वारा सिंचाई की जाती है। असिंचित भाग में प्रायः मडुवा, मादिरा, भट्ट इत्यादि बोया जाता है। जिसका अधिकांश भाग रबी में परती छोड़ दिया जाता है।

दूसरी श्रेणी 1250 मीटर से 1850 मीटर तक ऊंचाई वाला भाग फलोत्पादन के लिये उपयुक्त है। यहां कृषि सीढ़ीनुमा खेतों में की जाती है।

तीसरी श्रेणी में 1850 मीटर से ऊंचा भाग प्रायः बर्फीली चोटियों का है जिनमें वर्ष के अधिकांश समय में बर्फ जमी रहती है। इस ऊंचे भू-भाग में नन्दादेवी §7822मीटर§, त्रिशूल §7125मीटर§, नन्दकोट §6865मीटर§ पर्वत शिखर है। जनपद की प्रमुख नदियां रामगंगा, सरयू, गोमती, कोसी, पिण्डर, गगास, सुयाल आदि हैं।

जनपद की जलवायु भी विभिन्न ऊँचाईयों के कारण पृथक-पृथक प्रकार की है। एक स्थान से दूसरे स्थान की जलवायु में काफी अन्तर रहता है। इसी कारण यहां जनपद की वार्षिक वर्षा 1320 मिली लीटर से 2500 मि0ली0तक है।

जनपद के दक्षिणी भाग के वनों में सामान्यतया साल अधिक पाया जाता है। इसकी लकड़ी का प्रयोग गृह निर्माण में किया जाता है। शेष जंगलों में प्राय: चीड़ के पेड़ हैं। इसके पेड़ों से लीसा उत्पादन किया जाता है तथा लकड़ी गृह निर्माण एवं फर्नीचर बनाने के कार्य में आती है।

जनपद में अच्छे किस्म का चूने का पत्थर, खड़िया मिट्टी, मैग्नेसाइट, ताँबा तथा जिप्सम आदि खनिज पर्याप्त मात्रा में पाये जाते हैं।

अल्मोड़ा जनपद का मुख्यालय है तथा तहसीलों के मुख्यालय अल्मोड़ा, रानीखेत एवं बागेश्वर नगर हैं। इन तीनों नगरों का पक्की सड़क द्वारा काठगोदाम, रामनगर, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली, पौड़ी तथा देहरी से सम्पर्क है।

परिच्छेद - 2

जनसंख्या एवं व्यवसाय

जनपद की 1961 की जनसंख्या 5,52,843 थी और आबादी का घनत्व 101 प्रति वर्ग किलोमीटर था। वर्ष 1971 में यह जनसंख्या 6,48,622 हो गई और घनत्व 119 प्रति वर्ग किलो मीटर हो गया। मैदानी भागों से यहां का घनत्व कम है जिसका मुख्य कारण 53 प्रतिशत भूमि जंगलों के अन्तर्गत होना है। उपरोक्त जनसंख्या में से 29,112 व्यक्ति चार नगरीय क्षेत्रों में तथा शेष 2967 ग्रामों में रहते हैं। जनसंख्या के अनुसार ग्रामों का वर्गीकरण निम्नप्रकार है:-

कुल गांवों की संख्या	गैर आबाद ग्राम	जनसंख्या के अनुसार वर्गीकरण				
		200 जनसंख्या से कम	200 से 499 तक	500 से 999 तक	1000 से 1999 तक	2000 और ऊपर
1	2	3	4	5	6	7
3139	172	1821	928	198	20	शून्य

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि यहां छोटी-छोटी आबादी वाले ही अधिक गांव हैं। पिछले दशकों में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण अन्न व उद्योगों के अभाव से यहां के निवासियों को जीविकोपार्जन हेतु घर छोड़कर अन्यत्र सेवाओं में जाना पड़ता है। जिसका कृषि कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

पूर्ण आबादी का 19-5 प्रतिशत अनुसूचित जातियों का है जो सामान्यतया ग्रामों में ही निवास करते हैं। इनमें से 2-9 प्रतिशत लोग नगरीय क्षेत्र में रहते हैं। राज्य के प्रति हजार पुरुषों में 909 स्त्रियों के अनुपात की तुलना में जनपद का यह अनुपात प्रति हजार पुरुषों में 1109 स्त्रियों का है जिससे यह आभास मिलता है कि अपने कुटुम्ब की आर्थिक दशा सुधारने तथा जीविकोपार्जन के लिये काफी संख्या में पुरुषों को बाहर जाना पड़ता है। यदि जनपद में रोजगार की व्यवस्था, उद्योगधन्धो तथा कृषि उत्पादन स्वावलम्बी होता तो यह स्थिति नही आती।

इस जनपद से पुरूषों के बाहर चले जाने के कारण यहाँ की कृषि कार्य की देखरेख का कार्य स्त्रियों पर आ जाता है।1971 में प्रदेश के 39-1 प्रतिशत कर्मियों के तुलना में यहाँ कर्मियों का प्रतिशत 36-65 था। इन कर्मियों में से 82-49 प्रतिशत कृषक एवं कृषक मजदूर, 1-03 प्रतिशत पशु-पालन, 2-10प्रतिशत उद्योग, 0-05 प्रतिशत खानिज उद्योगों में, 0-59 प्रतिशत निर्माण कार्य, 1-96 प्रतिशत व्यापार, 0-77 प्रतिशत यातायात एवं संचार तथा 10-99 अन्य सेवाओं में कार्यरत थे। कुल कर्मियों में स्त्रियों का प्रतिशत 32-01 था।

1971 में जिले में 29 प्रतिशत साक्षरता है जो कि प्रदेश के 21-8 प्रतिशत की तुलना में अधिक है, परन्तु महिलाओं में साक्षरता केवल 22-42 प्रतिशत है। यह प्रतिशत नगरीय क्षेत्रों में अधिक है, इससे यह स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम महिलायें शिक्षित हैं।

1971 की जनगणनानुसार ग्रामीण जनशक्ति का विवरण निम्न-प्रकार है:-

	संख्या	कुल जनसंख्या का प्रतिशत
कर्मकर	147436	24
कार्य न करने वाले	462074	76
कुल	609510	100

ग्रामीण कर्मकरों का विवरण तथा ग्रामीण जनसंख्या से प्रतिशत निम्नप्रका है :-

वर्ग	संख्या	प्रतिशत
1- कृषक	104518	71
2- कृषक मजदूर	3217	2
3- पशुपालन, जंगल लगाना	2191	2
4- खनन कार्य	188	0
5-§क§पारिवारिक उद्योग	2483	2
§ख§पारिवारिक उद्योग के अतिरिक्त	2114	1

वर्ग	संख्या	प्रतिशत
6- निर्माण	1413	1
7- व्यापार एवं वाणिज्य	4571	3
8- यातायात, संग्रहण एवं संचार	1836	1
9- अन्य सेवायें	24975	17

सम्पूर्ण जनसंख्या में 14 वर्ष तक की आयु वालों का प्रतिशत 42-2 है। 14 से 59 वर्ष वालों का प्रतिशत 50-6 तथा 60 वर्ष से ऊपर वालों का प्रतिशत 7-2 है।

यद्यपि जिला कृषि प्रधान है परन्तु जनता को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने हेतु केवल कृषि पर रहना उचित न होगा। यहाँ कृषि उत्पादन आवश्यकता से कम है। अतः फलोद्यानों के विकास को विशेष महत्व दिया जा रहा है। तथा अधिक क्षेत्र उद्यानों के अन्तर्गत लाने की योजना बनाई गई है।

प्रशासनिक तथा संस्थानिक ढाँचा

प्रशासनिक दृष्टि से जनपद तीन तहसीलों और 14 विकास खण्डों में बाँटा गया है। अल्मोड़ा व बागेश्वर में नगरपालिकायें हैं। जो नगरीय क्षेत्र में स्वच्छता, जल, विद्युत आदि का प्रबन्ध करती है। रानीखेत व अल्मोड़ा के कुछ भागों का नियंत्रण कटेकपालिका के अन्तर्गत है। द्वाराहाट में भी अब स्थानीय निकाय (नोटिफाइड एरिया) बन चुकी है।

जिला परिषद के अधीन 672 कि०मी० पैदल सड़क तथा 1-2 कि०मी० मोटर मार्ग हैं। तथा 96 पुल व पुलिया हैं। परिषद द्वारा 26 डाकबंगले जनपद में संचालित किये जा रहे हैं।

जनपद में 1231 ग्रामसभायें तथा 130 न्याय पंचायतें हैं और 159 पटवारी क्षेत्र हैं।

परिच्छेद -3

प्राकृतिक संसाधन

भूमि उपयोग :- जनपद का भूमि उपयोग जलवायु की विचित्रता तथा भूमि के प्रकार पर निर्भर करता है। यहाँ भूमि उपयोग वर्ष वर्ष 1978-79 का इनिम्नप्रकार है:-

मद	क्षेत्रफल 000 हे0	प्रतिशत
1- कुल क्षेत्रफल	546	100
2- बन	289	53
3- कृषि योग्य बंजर भूमि	10	3
4- ऊसर तथा कृषि के अयोग्य	54	10
5- कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग में लाई गई भूमि	8	2
6- चरागाह	42	8
7-उद्यानों /वृक्षों का क्षेत्रफल	19	4
8- शुद्ध बोया गया क्षेत्र	106	20

प्राकृतिक संसाधन:- खेती छोटे-छोटे सीढ़ीनुमा खेतों में की जाती है जो पहाड़ी ढलान काटकर व दीवाल देकर बनाये जाते हैं। निचली घाटियों की समतल सेरों की भूमि दोमट है जो साधारणतया सिंचित है। परन्तु ऊचाई वाले भाग असिंचित हैं। इन भागों की मृदा एल्यूवियल प्रकार की है पर वनों के निकट की भूमि में पर्याप्त मात्रा में ह्यूमस रहता है।

भूमि की उपयोगिता बढ़ाने और इसकी उचित व्यवस्था करने के उद्देश्य से भूमि संरक्षण, बनीकरण एवं उद्यान विकास कार्य चलाये जा रहे हैं। फल उद्यानों का क्षेत्र बढ़ाया जा रहा है। रासायनिक उर्वरक एवं उन्नत बीजों का प्रयोग किया जाने लगा है। उन्नत चारे के क्षेत्र को बढ़ाया जा रहा है तथा नये फसल चक्र अपनाये जा रहे हैं ।

जल :- जनपद में सिंचाई व पेयजल के लिये जल का अभाव है। पहाड़ी क्षेत्रों में लिफ्ट सिंचाई में बहुत व्यय होता है। अत: गुरूत्वाकर्षण से ही अधिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास किये जा रहे हैं। हाइड्रम प्रणाली से पानी को ऊँचे खेतों में ले जाने के परिक्षण किये जा रहे है और कुछ योजनायें कार्यान्वित भी की जा चुकी हैं। गर्मियों में प्राय: धातों में पानी

कम हो जाता है और जिस समय सिंचाई तथा पेयजल की अधिक आवश्यकता होती है उस समय जल संकट हो जाता है। जनपद में तीव्र जलधाराओं और प्रपातों से विद्युत शक्ति उपलब्ध हो सकती है। बागेश्वर में इस प्रकार की एक माइक्रोहाईड्रिल स्कीम कार्यरत है । नदियों व नालों से बनी गूलों द्वारा सिंचाई की जाती है एवं इन गूलों में पनचक्की लगाकर अनाज पीसा जाता है।

भूमि संरक्षण:- जनपद में भूमि संरक्षण की समस्या विद्यमान है । जिससे सिविल वन, पंचायत वन, तथा अन्य क्षेत्र का अधिकांश भाग भी भूमि कटाव से प्रभावित है ।

पशुधन :- जनपद में पशुधन का बाहुल्य है। 1977 की पशुगणनानुसार 7,23,440 पशु तथा 47817 कुक्कुट थे जिसमें दुधारू पशु केवल 1,17,151 थे। यहां के पशु निर्बल व बहुत कम दूध देने वाले होते हैं , जिसका मुख्य कारण उनका निम्न नस्ल एवं चारे की कमी है। साधारणतया प्रत्येक कृषि परिवार कुछ न कुछ पशु रखता है जिससे उसे कृषि के लिये पशुशक्ति एवं गोबर की कम्पोस्ट खाद प्राप्त होती है। जनपद में पशुनस्ल सुधार कार्यक्रमों के साथ-साथ चारा विकास कार्यक्रम अपनाये जा रहे हैं । दानपुर परगने(बागेश्वर एवं कपकोट(में भेड़ पालन कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं ।

वन :- जनपद के 2,88,953 हैक्टर भूमि में वन हैं और 41,800हैक्टर भूमि में स्थाई चरागाह हैं म प्रबन्ध के अनुसार वनों का विवरण निम्न-प्रकार है:-

1- बन विभाग के अन्तर्गत क्षेत्र	- 174910 है0
2- राजस्व विभाग के अन्तर्गत वनों का क्षेत्र	- 54473 ,,
3- पंचायती निकायों तथा स्थानीय निकायों के अन्तर्गत बनों का क्षेत्र	- 59570 ,,

प्राकृतिक संसाधनों में मुख्य स्थान चीड़ के वनों में उत्पादित लीसे एवं लकड़ियों का है। चीड़ 1850 मीटर तक की ऊचाईयों में सुगमता पूर्वक होता है। लीसा संग्रहण व निर्यात में हजारों व्यक्तियों को रोजगार मिल जाता है। चीड़ की इमारती लकड़ी व रेलवे स्लीपर बनाने और उनका तीव्र जल धाराओं से ढुलान करने, जंगल कटाने एवं नये जंगल लगाने का कार्य सदा चलता रहता है। चीड़ की लकड़ी सहारनपुर स्थित स्टार पेपरमिल्स

को एक अनुबन्ध के अनुसार निर्धारित मात्रा में दी जाती है ।

वनों पर आधारित कुछ उद्योग जैसे तख्ते व बल्ली बनाना, बांस का टोकरिया व रिंगाल की चटाईयां बनाना पूर्व से चल रहा था अब कुछ आरा मशीनों के लग जाने से घरेलू उपयोग के फर्नीचर, पैकिंग केस इत्यादि बनाने के कार्य भी आरम्भ हो गये हैं ।

बनों की देखरेख व संरक्षण के साथ-साथ बन विभाग द्वारा शीघ्र उगने वाली प्रजातियां आर्थिक एवं औद्योगिक महत्व के वृक्षों का वृक्षारोपण कार्य भी सम्पन्न किया जाता है और भूमि संरक्षण की व्यापक योजना कार्यान्वित की जाती है।

जनपद की बन सम्पदा में जड़ी-बूटियां भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है ।

<u>खनिज- संसाधन:-</u> जिले में सोफ्ट स्टोन एवं मैग्नेसाइट प्रचुर मात्रा में है। सोफ्टस्टोन का निर्यात किया जाता है और मैग्नेसाइट के लिये झिरौली में फैक्ट्री खुल चुकी है जिसमें राज्य सरकार के 51 प्रतिशत व टाटा कम्पनी के 49 प्रतिशत शेयर हैं ।

पूर्व में बागेश्वर के पास आयरन पाइराइट फूंककर लोहा प्राप्त किया जाता था परन्तु यह उद्योग अब लुप्त हो गया है ।

भूतत्व एवं खनिजकर्म विभाग की शोध के अनुसार खालदोरी, बलढोटी, विनसर, चौड़ा तथा धर्मशाला ग्रामों के निकट अच्छे खनिजीकरण क्षेत्र हैं । मटेला ग्राम के निकट सीमेन्ट श्रेणी का अच्छे किस्म के चूने का पत्थर भी पाया गया है। झिरौली क्षेत्र में भी सीमेंट श्रेणी के चूने का पत्थर लगभग 15कि0मी0 की लम्बाई में उपलब्ध है। खनिजीकरण के क्षेत्र के छोटे-छोटे लोसेस गनिआगर, लदरौली, देवतौली, भारन और गुरखाना में देखे गये हैं जिनमें लोहे खनिज की मात्रा लगभग 19प्रतिशत है। जिंक तथा लैड के लिये विस्तृत अन्वेषण कार्य आरम्भ किया गया है ।

परिच्छेद- 4

योजना के उद्देश्य एवं रणानीति

योजना में जनपद के सर्वोतोन्मुखी विकास को दृष्टिगत करते हुये राष्ट्रीय नीति के अनुसार बेरोजगारी दूर करने, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े तथा निर्बल वर्ग के लोगों, विशेषकर अनुसूचित तथा जनजाति के व्यक्तियों खेतीहर मजदूरों, सीमान्त एवं लघु कृषकों के विकास के लिये स्थान विशेष के अनुरूप विशिष्ट कार्यक्रमों के नियोजन एवं संचालन को उच्चतर प्राथमिकता दी जावेगी। इसीके साथ ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर भागने की प्रवृत्ति को रोकने के समुचित उपाय करने, कृषि की औसत उत्पादकता तथा बहुफसली क्षेत्र में वृद्धि करने, ग्रामीण क्षेत्र में जल सम्पूर्ति के लिये समुचित प्राविधान करने तथा मानवीय विकास के लिये स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की मूलभूत सामाजिक सेवायें समुचित मात्रा में उपलब्ध कराने के साथ-साथ पूर्व योजनाकाल में विनियोजित पूंजी तथा स्थापित अवस्थापनाओं से अधिक लाभ प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

योजना का उद्देश्य आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े हुये क्षेत्र में हरिजनों, भूमिहीन खेतीहर मजदूर, लघु एवं सीमान्त कृषकों, शिल्पियों, स्वरोजगाररत उद्यमियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों को विशेष रूप से उपयुक्त परियोजनाओं द्वारा लाभान्वित करना तथा उन्हें स्वावलम्बी बनाना है ।

प्राथमिकता के आधार पर योजना काल में निम्नलिखित कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने की योजना बनाई गई है:-

1- वनीकरण

2- पर्यटन विकास

3- कृषि एवं औद्यानिकी

4- सिंचाई साधनों का विस्तार एवं जल संरक्षण

5- पशुपालन एवं चारा विकास

6- विद्युतीकरण

7- यातायात एवं संचार व्यवस्था का विकास

8- उद्योग विकास

9- जल-सम्पूर्ति

10- समाज सेवाओं का विस्तार

11- स्थानीय विकास योजनायें

12- अन्त्योदय कार्यक्रम

जिला योजना के कार्यक्रमों का वर्गीकरण निम्नवत् किया गया है:-

1- वे कार्यक्रम जो जनता द्वारा, अपने संसाधनों द्वारा तथा संस्थागत या शासकीय अनुदान द्वारा कार्यान्वित होंगे ।

2- वे कार्यक्रम जो सहकारी अथवा निगमीकृत आधार पर कार्यान्वित होंगे

3- वे कार्यक्रम जो स्थानीय निकायों जैसे:-ग्रामसभा, क्षेत्रीय समिति, नगर-पालिका तथा टाऊन एरिया द्वारा कार्यान्वित होंगे ।

4- वे कार्यक्रम जो सरकारी विभागों द्वारा राज्य स्तर की योजना के अन्तर्गत कार्यान्वित होंगे ।

5- केन्द्र द्वारा संचालित योजनायें ।

इसके अतिरिक्त अन्य योजनायें निम्नप्रकार है:-

1- वे कार्यक्रम जो राज्यस्तर पर तैयार किये जावेंगे पर वे जिले में स्थित होंगे ।

2- अन्तर्जिला प्रादेशिक योजनायें ।

3- केन्द्रीय परियोजनायें तथा कार्यक्रम जो जिले में स्थित या कार्यान्वित होंगे ।

जिला योजना तैयार करने में विकास के वर्तमान स्तर का मूल्यांकन करके, संसाधनों की उपलब्धता तथा पूर्वताक्रमों के तारतम्य में अन्तर्क्षेत्रीय अन्तर्सम्भागीय, आर्थिक तथा सामाजिक विषमताओं एवं असमानताओं को दूर करने के उद्देश्य को प्राथमिकता दी गई है ।

परिच्छेद-5

फलोपयोग एवं औद्यानिकी

संतुलित भोजन में फलों एवं शाक भाजी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अत: स्पष्ट है कि जनसाधारण को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिये फलों एवं शाक भाजी का उत्पादन अधिक बढ़ाकर उन्हें उपलब्ध किया जाय ।

जनपद का अधिकांश भाग पहाड़ी है। एक ओर घाटी क्षेत्र है तो दूसरी ओर पहाड़ियां। अत: यहां सेव, नाशपाती, आड़ू, खुबानी एवं पुलम आदि फल ऊंची पहाड़ियों पर तथा आम, अमरूद, लीची तथा तुरंजा आदि फल घाटी क्षेत्र में सुगमतापूर्वक उगाये जा सकते हैं। कुछ स्थान जैसे रानीखेत, शीतलाखेत, दूनागिरी, लमगड़ा, धौलादेवी, कपकोट एवं कौसानी की भूमि सेव के उत्पादन हेतु बहुत ही उपयुक्त है ।

योजना काल 1980-85 में अच्छी किस्म के वंशानुगत फलदार पौधा एवं सब्जी बीज वितरण, आलू उत्पादन की सघनीकरण, उद्यानों की स्थापना हेतु दीर्घ कालीन भूण, मशरूम उत्पादन इत्यादि की योजना है जिस पर फलोपयोग एवं औद्यानिकी सम्भाग के लिये 2613 हजार रूपये का परिव्यय रखा गया है ।

कृषि

अल्मोड़ा जनपद हिमालय पर्वत की 900 मीटर से 8500 मीटर (समुद्र तल) तक की ऊंचाई में स्थित है। इन पर्वत श्रेणियों में जहां पर भी थोड़ा क्षेत्र समतल या ढालू उपलब्ध हुआ, वहीं पर खेती का अवलम्ब पुरातन काल से चला आ रहा है। सर्वाधिक उत्पादन वाला क्षेत्र रामगंगा, सरयू, गोमती एवं कोसी नदी वाला तथा इनकी सहायक छोटी-छोटी नदियों की घाटियों वाला है। जनपद में वर्तमान में 106 हजार हैक्टेयर भूमि कृषि के अन्तर्गत है।

कुल कृषि योग्य भूमि में से 11-77 हजार हैक्टेयर भूमि सिंचित है। इस प्रकार कुल कृषि योग्य भूमि का 11-1 प्रतिशत भाग ही सिंचित है। पर्वतीय भूमि छोटे-छोटे खेत व पथरीली होने तथा प्रति कृषक

जोत कम होने से घाटी क्षेत्र को छोड़कर आर्थिक दृष्टिकोण से कृषि के लिये अलाभप्रद नही है । इस कारणवश यहां के पुरूष एवं युवावर्ग अपनी रोजी कमाने हेतु अन्य व्यवसाय में बाहर निकल जाते हैं। जिसके कारण यहां पर कृषि बूढ़ें, बच्चों और विशेषकर महिलाओं पर निर्भर रहती है ।

उक्त भौगोलिक एवं स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुये यहां के कृषक की आर्थिक स्थिति को सुधारने तथा अधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिये वार्षिक योजना में निम्न कार्यक्रम का समावेश किया गया है ।

योजनाकाल 1980-81 में बीज सम्वर्द्धन प्रक्षेत्रों की स्थापना, सचल भूमि परीक्षण, प्रयोगशालाओं की स्थापना, अधिक उपजवाली प्रजातियों के अन्तर्गत बीज विपणन पर अनुदान की योजना, दलहनी फसलों की सघन योजना, पौधा सुरक्षा सेवा का सुदृढ़ीकरण, खाद्यान्न फसल उत्पादन में आकलन के आधारपन की योजना, सोयाबीन, तिलहन एवं सूरजमुखी के उत्पादन की योजना तथा सोयाबीन विकास केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना की योजना का समावेश है। जिसमें कुल मिलाकर 640 हजार रूपये का परिव्यय प्रस्तावित है ।

सहकारिता

अधिकोषण योजना के अन्तर्गत जनपद में एक जिला सहकारी बैंक एवं इसकी 16 शाखायें कार्यरत हैं। जनपद के 14 विकास खण्डों में 14 शाखायें, एक संध्याकालीन शाखा §कारखाना बाजार अल्मोड़ा§ तथा एक सचल सेवाशाखा की पूर्ति हो जाने से योजनाकाल में कोई नई शाखा खोलने का प्रस्ताव नही है। जिला सहकारी बैंक द्वारा आधारवर्ष में 2-44 करोड रूपये का निक्षेप संचय किया गया । योजना काल 80-81 में इसको बढ़ा कर 2-56 करोड़ करने का लक्ष्य है। आधारवर्ष 79-80 में 38-14 लाख रूपया अल्पकालीन तथा 19-25 लाख रूपया मध्यकालीन ऋण वितरण किया गया। योजनाकाल में क्रमशः 58-55 लाख रूपया अल्पकालीन व 29-50 रू0 मध्यकालीन ऋण वितरण का लक्ष्य है।

जनपद में 106 न्याय पंचायत स्तरीय प्राथमिक ऋण समितियां सहकारिता के विभिन्न कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने हेतु कार्यरत हैं। इन

समितियों के कार्यक्षेत्र द्वारा जनपद का पूर्ण आच्छादन हो जाने से योजना काल में नई प्राथमिक समितियां खोलने का कोई प्रस्ताव नही है। आधार वर्ष 1979-80 में इन समितियों में सदस्य संख्या 66591 थी जो योजनाकाल 80-81 में 70591 करने का लक्ष्य है।

दीर्घकालीन ऋण वितरण हेतु जनपद में भूमि विकास बैंक की एक शाखा कार्यरत है। पिछले ऋण की बकाया पड़ जाने से भूमि विकास बैंक के अग्रिम ऋण वितरण पर रोक लगी हुई है। योजनाकाल में 87-50लाख रुपया दीर्घकालीन ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है।

क्रय-विक्रय योजना के अन्तर्गत जनपद में एक क्रय विक्रय समिति विकास खण्ड साल्ट में,एक जनपदीय फल विपणन समिति तथा एक भेषज संघ कार्यरत है। जनपद फल विपणन समिति वर्ष 1980-81 में दो संग्रहण केन्द्र और खोलेगी।

उपभोक्ता कार्यो हेतु जनपद में तीन लीड समितियां कार्यरत हैं। जिससे उपभोक्ता कार्य हेतु 68 न्याय पंचायत स्तरीय समितियां सम्बद्ध है। इसके अतिरिक्त 18 उपभोक्ता समितियां भी इस कार्य में रत हैं।

रसायनिक उर्वरक का वितरण प्रथम बार वर्ष 79-80 में किया गया जो 0-056 हजार मै0टन था। वर्ष 1980-81 इसका लक्ष्य 0-200हजार मै0टन प्रस्तावित है।

पेयजल ग्राम्य विकास

जनपद में स्वच्छ पेयजल का अत्यन्त अभाव है। विशेषकर हरिजनों तथा पिछड़े वर्ग की बस्तियों में यह अभाव अधिक है। वर्ष 1979-80 में 30 पेयजल डिग्गियों का निर्माण हरिजन एवं पिछड़े वर्ग की बस्तियों में किया गया जिससे 6100 जनसंख्या लाभान्वित हुई। वर्ष 1980-81 में 31 पेयजल डिग्गी हरिजन बस्तियों में बनाने का लक्ष्य प्रस्तावित है जिससे 620 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

वर्ष 1979-80 में उपरोक्त कार्य हेतु 600-00 हजार रु0 व्यय हुा। वर्ष 1980-81 में 745-00 हजार रु0 का परिव्यय प्रस्तावित है।

लघु- सिंचाई

लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यक्तिगत कृषकों तथा ग्राम सभाओं द्वारा छोटी-छोटी गूलों तथा हौजों का निर्माण किया जाता है। विगत वर्षों में उपरोक्त योजनाओं के रखरखाव की उचित व्यवस्था न होने के कारण इन योजनाओं में बहुत सी योजनायें कार्यरत नही हैं। यह तथ्य वर्तमान सिंचाई गणना से भी प्रकाश में आया।

वर्ष 1979-80 में 83-08 कि0मी0 गूल तथा 323 हौजों का निर्माण किया गया जिनके द्वारा 759 हैक्टेयर भूमि में सिंचन क्षमता का सृजन किया गया। वर्ष 1980-81 में 111 कि0मी0 गूल तथा 450 सिंचाई हौज बनाने का लक्ष्य प्रस्तावित है जिनके द्वारा 1045 हैक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया जायेगा।

वर्ष 1979-80 में अधिक अन्न उपजाओं कार्यक्रम के अन्तर्गत 610 हजार रूपये का ऋण वितरण व सामूहिक अनुदान कार्यक्रम में 498 हजार रूपये के अनुदान के रूप में वितरण किया गया। वर्ष 1980-81 में उपरोक्त मद में 300 हजार रूपये का ऋण वितरण तथा 200 हजार रूपये के अनुदान सामाजोजन का लक्ष्य प्रस्तावित है।

पौष्टिक आहार

पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों का आहार असंतुलित है और इसमें पौष्टिकता का अभाव है। पौष्टिक आहार योजना के अन्तर्गत इस समस्या तीन विकास खण्डों का चयन किया गया है।

वर्ष 1979-80 में 5 स्कूल वाटिका, 151 सहयोगी संस्थाओं के व्यक्तिगत सदस्यों को कुक्कुट पालन, बकरी पालन की सहायता, 15 सहयोगी संस्थाओं को साज-सज्जा हेतु सहायता, 190 व्यक्तियों को पौष्टिक आहार का प्रशिक्षण दिया गया। वर्ष 1980-81 में 15 स्कूल वाटिकी, 160 सहयोगी संस्थाओं के व्यक्तिगत सदस्यों को कुक्कुट व बकरी पालन हेतु सहायता, 120 सहयोगी संस्थाओं को साज-सज्जा हेतु सहायता तथा 400 व्यक्तियों को पौष्टिक आहार प्रशिक्षण देने का लक्ष्य प्रस्तावित है।

वर्ष 1979-80 में पौष्टिक आहार के अन्तर्गत 108-3 हजार रू0 व्यय किये गये तथा योजना काल में 111-0 हजार रू0 का परिव्यय प्रस्तावित है।

पशुपालन

जनपद के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का मुख्य उद्यम कृषि है। और शायद ही कोई ऐसा ग्रामीण परिवार होगा जिसके पास एक-आध पशु न हो। जनपद के दुधारू पशुओं का दुग्ध उत्पादन आर्थिक रूप से लाभकर नही है। पशुओं की संख्या के परिपेक्ष में चरागाह एवं चारे के उपयोग में लाई जाने वाली भूमि बहुत ही कम है जिसके कारण पशुपालक पशुओं को पर्याप्त चारा एवं पौष्टिक आहार नही दे पाते । अत: पशुओं के उचित पोषण की आवश्यकता है ।

वर्तमान योजना का एक उद्देश्य यह भी है कि नैसर्गिक प्रजनन एवं कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशुओं की नस्लों में सुधार किया जाय । इस हेतु कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों का सुधार व सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार व नये केन्द्रों की योजना प्रस्तावित है ।

पर्वतीय जनपदों में पशुओं के चारे की विशेष कमी है । अत: जनपद में भौंसवाड़ा चारा अनुसंधान केन्द्र तथा उपकेन्द्रों का विकास एवं विस्तार तथा चारा विकास के सस्थानीकरण हेतु योजना प्रस्तावित है ।

योजना काल में नये 5 पशुसेवा केन्द्र तथा 5 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है।

चालू योजना वर्ष 1980-81 में कुक्कुट प्रक्षेत्रों के प्रसार व नये प्रक्षेत्रों की स्थापना हेतु 83 हजार रू० का परिव्यय प्रस्तावित है । नैसर्गिक अभिजनन केन्द्र की स्थापना हेतु 96 हजार रू०, पर्वतीय क्षेत्र में भेड़ों को परोपजीवी किटाणुओं के उपचार हेतु सामूहिक रूप से दवा पिलाने के लिये 36 हजार रू०, भेड़ प्रजनन फार्म तथा भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्रों की स्थापना हेतु 130 हजार रूपया एवं चारा विकास का सस्थानीकरण हेतु 30हजार रू० का परिव्यय प्रस्तावित है ।

दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादन

अल्मोड़ा दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ विगत 28 वर्षों से 20कि०मी० परिधि में पड़ने वाले ग्रामों के भूमिहीन कृषकों, मजदूर एवं अल्प साधनों वाले कृषकों को संगठित कर दुधारू पशुओं को खरीदने हेतु सहायता

दिलवाकर उत्पादित दूध को उचित कीमत पर खरीद रहीहै । परन्तु किन्हीं कारणों से,वह अपने लक्ष्य की पूर्ति नही कर पा रहा है जिसका मुख्य कारण दुग्ध संघ को समय पर सहायता न मिलना है और जो सहायता उपलब्ध की गई वह हिस्सों में की गई है।

- वर्तमान में दुग्ध संघ के पास पातालदेवी में अपना भवन है। जिसमें आधुनिक डेरी की साज-सज्जा लगी है । दुग्धशाला में किसी भी प्रकार की घोर बाढ़ धनाभाव के कारण नही की जा सकी है ।

दुग्ध संघ द्वारा वर्ष 80-81 में 2-5लाख लीटर दुग्ध का उपार्जन, 10 समितियों का गठन व 460 सदस्यों संख्या बढ़ाये जाने का लक्ष्य प्रस्तावित है ।

इसके लिये चालू योजना हेतु 218 हजार रूपये परिव्यय का प्राविधान प्रस्तावित है ।

मत्स्य

जनपद अल्मोड़ा में मत्स्य पालन का कार्यक्रम वर्ष 1979-80 से चलाया गया है। जनपद में मत्स्य पालन हेतु बहुत ही कम क्षेत्र उपलब्ध है क्योंकि यहां किसी भी प्रकार के जलाशय,झील तथा तालाब नही हैं फिर भी इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु विशेष प्रयास किया जा रहा है तथा जनता को मत्स्य पालन की ओर प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि वह इस कार्यक्रम से लाभान्वित हो सके ।

विभाग द्वारा यहां की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये उन्नत अंगुलिकाओं §मिररकार्प एवं महाशेर§का वितरण तथा मत्स्य कार्यक्रम के प्रचार का निश्चय किया गया है। जनपद में केवल एक मत्स्य निरीक्षक की नियुक्ति की गई है जो कार्यक्रम के अन्तर्गत अंगुलिकाओं के वितरण के लक्ष्यों की पूर्ति करेगा ।

जनपद में मत्स्य पालन के इच्छुक व्यक्तियों द्वारा स्थानीय विकास योजना के अन्तर्गत तालाब निर्माण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये थे जिनका सर्वेक्षण कर 6 योजाओं की फिजिवल्टी रिपोर्ट बनाकर संबंधित अधिकारियों के पास भेजी गई है।

वर्ष 1979-80 में 3000 अंगुलिकाओं का वितरण किया गया तथा वर्ष 1980-81 हेतु 6000 अंगुलिकाओं के वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

वन

कृषक तथा मानव जीवन का वनों से गहरा संबंध है। मनुष्य पग-पग पर वनों पर ही आश्रित है। चाहे वह भोजन पकाने के लिये ईंधन हो चाहे दैनिक उपयोग की वस्तुएँ हो, चाहे मकान बनाने के लिये लकड़ी, पशुओं के लिये चारा, कृषि उपकरणों या अन्य छोटी-मोटी जरूरतों तथा दवाओं के लिये जड़ी-बूटियाँ प्राप्त करने के लिये, उसको वृक्षों की ही शरण लेनी पड़ती है।

राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार प्रदेश के 33-33 भाग में वन होना चाहिये। इस जनपद में वनों का क्षेत्रफल 2,88,953 हैक्टेयर है जो कुल क्षेत्रफल का 53 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त 42000 हैक्टेयर क्षेत्र में स्थाई चरागाह है।

वनों और वृक्षों के संरक्षण और अधिक वृक्ष लगाने के लिए जनपद में वृहद वृक्षारोपण योजना कार्यान्वित की गई है। जिसके अन्तर्गत लक्ष्य निर्धारित कर जन सहयोग के आधार पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जा रहा है।

सिविल एवं पंचायती वनों में भूमि एवं जल संरक्षण योजना:-

सिविल एवं पंचायती वनों पर जन एवं पशु दोनों की संख्या में अपार वृद्धि होने के कारण बहुत दबाव पड़ रहा है। आबादी के निकट होने पर मनुष्य पहले इन्हीं वनों को अपना निशाना बनाता है। अधिक व अनियंत्रित कटान व पशुओं के चुगने से इन वनों की दशा अत्यन्त ही शोचनीय है। वनों के कटने से भूमि कटान होने लगा तथा स्थानीय लोगों को पानी के पुराने से भी हाथ धोना पड़ा।

अल्मोड़ा जनपद के रामगंगा जलागम क्षेत्र में कालागढ़ बांध को पटने से बचाने के लिये भारत सरकार ने भूमि एवं जल संरक्षण की योजना वर्ष 1962 से चलाई है। जनपद के अन्य जलागम क्षेत्रोंमें भूमि एवं जल संरक्षण कर सिविल वनों का सर्वांगीण विकास करने के लिये वर्ष 1974 में सिविल एवं सोयम वन प्रभाग के अन्तर्गत विभिन्न कार्य सम्पन्न किये गये। वर्ष 1979-80 के अन्तर्गत इस वन प्रभाग द्वारा 3936 हैक्टर क्षेत्र में

वनीकरण का कार्य सम्पन्न किया गया।

वन उपज से विभिन्न प्रकार के कुटीर उद्योगों की योजनायें चलाई जा रही हैं। तख्ते वल्ली बनाना, बांस की टोकरी व रिंगाल की चटाई बनाना जैसे उद्योग जनपद में पूर्व ही चल रहे थे अब कुछ आरा मशीन लगने तथा पंचायत उद्योग के माध्यम से फर्नीचर, पेकिंग केस आदि बनाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

उपलब्ध जड़ी-बूटियों के लिये भी योजना बनाई जा रही है। समस्त योजनाओं के कुशल संचालन हेतु वन विभाग को चार प्रशासकीय खण्डों क्रमशः पूर्वी वन खण्ड, पश्चिमी वन खण्ड, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, तथा भूमि संरक्षण वन प्रभाग में विभाजित किया गया है।

वर्ष 1979-80 में 329 हेक्टेयर क्षेत्र में आर्थिक महत्व के वृक्षों का रोपण किया गया तथा चालू योजनाकाल में 220 हेक्टेयर क्षेत्र में यह कार्य सम्पन्न किया जायेगा। रेवाइन रिक्लेमेशन के अन्तर्गत वर्ष 1979-80 में 1255 हेक्टेयर की पूर्ति की गई। वर्ष 80-81 में इसका लक्ष्य 1245 हेक्टेयर निर्धारित किया गया है।

वर्ष 1980-81 में आर्थिक महत्व की प्रजातियों के रोपण हेतु 278 हजार रू0 सिविल एवं सोयम वन क्षेत्रों में भूमि संरक्षण के लिये 3200 हजार रू0 तथा रामगंगा नदी घाटी योजना हेतु 3948 हजार रू0 का परिव्यय का प्राविधान किया गया है।

वृहत एवं मध्यम सिंचाई

स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व जनपद में सिंचाई के साधन बहुत ही सीमित थे परन्तु बाद को राजकीय कार्यों द्वारा सिंचाई के साधन इस जनपद में उपलब्ध कराये गये। साथ-साथ आवश्यकतानुसार बाढ़-सुरक्षा कार्यों का निर्माण भी जन-धन की हानि एवं कृषियोग्य भूमि के बचाव हेतु कराया गया।

पर्वतीय भू-भाग में नदी-नालों व छोटी-छोटी रोलियों का पानी सिंचाई कार्यों में लाया जाता है। रामगंगा, कोसी, सरयू, पनार, गोमती व सुवाल व उनकी सहायक नदियों का पानी सिंचाई के लिये उपयोग में लाया जाता है।

चालू योजना 1980-81 में राजकीय लघु सिंचाई द्वारा 200 हैक्टेयर व वृहत एवं मध्यम सिंचाई द्वारा 54 हैक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन करने का लक्ष्य प्रस्तावित है।

वृहत एवं मध्यम सिंचाई कार्यों के लिये 1980-81 में 4850 हजार रू0 का परिव्यय प्रस्तावित है।

बाढ़ नियंत्रण कार्य हेतु वर्ष 1980-81 हेतु 230 हजार रू0 का परिव्यय का लक्ष्य रखा गया है।

ग्रामीण विद्युतीकरण

विद्युतीकरण हेतु वांछित विद्युत भार कम मिल पाता है तथा विद्युतीकरण करने के लिये लम्बी लाइनें बनानी पड़ती हैं व रखरखाव में खर्च अधिक आता है। सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्युतीकरण करने के लिये 1-प्रतिशत वार्षिक प्रति लाभ अपेक्षित है किन्तु यह वार्षिक प्रतिलाभ पर्वतीय क्षेत्र में बहुत कम मिल पाता है। अतः इसे पर्वतीय क्षेत्र के लिये 5 प्रतिशत रखना आवश्यक है। पर्वतीय क्षेत्रों में ट्रांसमिशन लाइनों में खर्च अधिक आता है। अतः ट्रांसमिशन लाइन एवं सबस्टेशन की लागत के लिये पर्याप्त अनुदान दिया जाय तथा सामान्य कार्यक्रम के लिये इसका खर्चा प्रतिलाभ निकालने में न जोड़ा जाय।

हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण हेतु खर्च करने की वर्तमान अधिकतम सीमा 3 000रू0 बहुत ही कम है। इसको बढ़ाकर प्रति हरिजन बस्ती 10हजार करने पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

विद्युत लाइनों के लिये वृक्षों के निस्तारण की प्रक्रिया को सरल किया जाय।

चालू योजना 1980-81 हेतु 69 ग्रामों में विद्युतीकरण, 30 ग्रामीण औद्योगिक कनेक्शन, 2शहरी औद्योगिक कनेक्शन देने तथा 69 हरिजन बस्ती में विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिस हेतु कुल 4439 हजार रू0 का परिव्यय प्रस्तावित है।

ग्रामीण लघु उद्योग

सेन्ट्रल सेक्टर में अभी कोई भी उद्योग अल्मोड़ा जनपद में नही लग पाये हैं परन्तु संयुक्त सेक्टर में मैग्नेसाइट लि० की स्थापना काफलीगैर में की गई है। मध्य म आकार का उद्योग मे०कुमार ब्रोन्ज पाउडर फैक्ट्री स्थान ताड़ीखेत में स्थापित की गई है। जड़ी-बूटी के लिये भारत सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर इकाई बनाने का प्रस्ताव है जिसपर कार्यवाही चल रही है ।

भारत सरकार की अन्य योजना जैसे- पूंजी, अनुदान, मार्जिनमनी योजना इत्यादि इस जनपद में लागू है। वन सम्पदा पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है ।

चालू योजना में कोई लघु उद्योग इकाई खोलने का प्रस्ताव नही है। पहले की लघु उद्योग इकाईयों में लगे व्यक्तियों की संख्या में 495 वृद्धि करने का लक्ष्य है । असंगठित क्षेत्र में 85 लघु उद्योग इकाईयां खोलने का लक्ष्य प्रस्तावित है।

उद्योग हेतु 1980-81 में 1005हजार रूपये का परिव्यय रखा गया है।

हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग

सोमेश्वर के निकट चनौदा नामक स्थान पर हथकरघा उद्योग बहुत पहले से स्थापित है। वर्ष 1980-81 में सहकारी क्षेत्र में 50 हथकरघे लाने का लक्ष्य है साथ ही एक बुनकर समिति का गठन वर्ष में किया जायेगा।

2 लाख मीटर हथकरघा वस्त्र के उत्पादन तथा 250 कि०ग्रा० टसर कोया उत्पादन का लक्ष्य योजना काल में प्रस्तावित है ।

उपरोक्त कार्य के लिये योजना काल में कुल 250हजार रू० का परिव्यय प्रस्तावित है ।

सड़क

जनपद के अंचल में फैले हुये सौन्दर्य स्थलों एवं तीर्थस्थलों तक सुगमता पूर्वक पहुंचने के लिये सड़कों एवं सड़कों पर बने सेतुओं की आवश्यकता होती है। जनपद की 94 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है। ग्रामों के उत्पादन को शहरों तक पहुंचाने तथा कृषिउपयोगी वस्तुओं एवं निवेशों को सुगमतापूर्वक एवं शीघ्रता से ग्रामों तक पहुंचाने केलिये ग्रामों को पक्की सड़क से जोड़ना आवश्यक है।

योजना काल 1980-81 में 80-7कि0मी0 नई सड़कों का निर्माण, 134-1कि0मी0 पुरानी सड़कों का निर्माण एवं सुधार तथा 150 ग्रामों को पक्की सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य प्रस्तावित है ।

उपरोक्त कार्यों हेतु योजना काल में 125027 हजार रूपये का परिव्यय प्रस्तावित है ।

पर्यटन

हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं के बीच स्थित जनपद अल्मोड़ा अनेक सौन्दर्य से परिपूर्ण स्थलों, धार्मिक स्थलों, प्राकृतिक छटा एवं दृश्यावलोकन स्थलों से भरपूर होने पर भी पर्यटकों को आकर्षित करने में सक्षम नही हो सका है। इसका मुख्य कारण पर्यटकों के लिये उचित आवास की सुविधाओं का अभाव है। पर्यटकों हेतु केवल उचित आवास एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था के सृजन की ही नही, अपितु यह व्यवस्था तुलनात्मक दृष्टि से सस्ती और ऐसी होनी चाहिये जिसे मध्यम वर्ग के लोग सरलता से वहन कर सकें।

आवासीय, मार्गीय एवं मनोरंजन की सुविधाओं के अभाव की पूर्ति तथा उनके प्रसार एवं अपेक्षित प्रचार से पहाड़ों में पर्यटन एक सुव्यवस्थित उद्योग का रूप ग्रहण कर क्षेत्र तथा क्षेत्रवासियों के आर्थिक उन्नति में उल्लेखनीय योगदान दे सकता है ।

चालू योजना 1980-81 में एक पर्यटन आवास का निर्माण एवं विस्तार तथा 80 शैय्याओं का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । इस कार्य हेतु 168। हजाररूपये का परिव्यय प्रस्तावित है ।

शिक्षा

<u>बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा</u>:- यह सर्वमान्य सत्य है कि पर्वतीय क्षेत्र प्रदेश का पिछड़ा क्षेत्र है। वैज्ञानिक, औद्योगिक एवं व्यवसायिक शिक्षा द्वारा ही इस पिछड़े क्षेत्र में उन्नति की जा सकती है ।

जिले की विषम भौगोलिक स्थिति के कारण 350 से भी कम आबादी वाले क्षेत्रों में स्कूल खोलने की आवश्यकता है। प्राइमरी स्तर पर शिक्षक-शिष्य अनुपात 1-33 है जिससे पता चलता है कि स्कूल

में कम बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसे मान्य अनुपात 1:35 तक लाने का प्रयास किया जा रहा है। स्कूल में छात्रों के बैठने के लिये टाट पट्टियों व अन्य साज-सज्जा की न्यूनता रहती है। विद्यालयों में खोलेगये कुछ बैंकों एवं गरीब छात्रों को पुस्तकीय सहायता प्रदान करने से कुछ बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं परन्तु अभी इस ओर अधिक धनराशि के प्रावधान की आवश्यकता है।

सीनियर बेसिक स्कूलों में भी छात्र संख्या में वृद्धि की आवश्यकता है। आधार वर्ष में शिक्षक-शिष्यअनुपात 1:21 था जिसे 1:25 करने का लक्ष्य प्रस्तावित है।

योजना काल में नगरीय क्षेत्र में केवल एक जूनियर बेसिक स्कूल, ग्रामीण क्षेत्र में 35 जूनियर बेसिक स्कूल तथा 15 सीनियर बेसिक स्कूल खोलने का लक्ष्य है।

बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा हेतु वर्ष 1980-81 में 5995 हजार रूपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

उच्च-शिक्षा- जनपद में उच्च शिक्षा की संख्यात्मक प्रगति तो हुई है, लेकिन गुणात्मक प्रगति अभी संतोषजनक नहीं है। कुल रूप से जनपद के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का संतुलित एवं सम्यक विकास नहीं हो पाया है। अधिकांश विद्यालयों में पुस्तकालय नाममात्र के हैं। संदर्भ ग्रन्थों तथा पाठ्यक्रमों का अभाव है। शौचालय हेतु अनुदान के संबंध में अनुदान देने पर ध्यान देना आवश्यक है। वैज्ञानिक क्षेत्र में विज्ञान के उपकरण हेतु अनुदान अधिक मात्रा में उपलब्ध कराने की आवश्यकता है ताकि शिक्षा का स्तर ऊँचा हो।

वर्ष 1980-81 में 4 हायर सैकेण्डरी स्कूल नगरीय क्षेत्र में तथा एक डिग्री कालेज ग्रामीण क्षेत्र में खोलने का लक्ष्य प्रस्तावित है।

उच्च शिक्षा हेतु योजना काल में 653 हजार रूपये का परिव्यय प्रस्तावित है।

प्राविधिक-शिक्षा

जनपद में प्राविधिक शिक्षा हेतु 5शिक्षण संस्थायें आई0टी0आई0अल्मोड़ा, जनार्दन पोलटैक्नीक अल्मोड़ा, आई0टी0आई जैंती, आई0टी0आई0काण्डा सर्टिफिकेट स्तर की व आई0टी0आई द्वाराहाट डिप्लोमा स्तर की संस्थायें कार्यरत हैं।

चालू योजना में कोई नई प्राविधिक संस्था खोलने का प्राविधान नही है।

चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य

किसी भी राष्ट्र के लिये उसके जनसाधारण के स्वास्थ्य का बहुत महत्व होता है। मानव शक्ति से ही वहां की आर्थिक, सामाजिक प्रगति संचालित होती है। सामाजिक सेवाओं में चिकित्सा तथा जनस्वास्थ्य सुविधायें प्राथमिकता के आधार पर सुलभ कराना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जनपद की निर्बलता एवं निर्धनता की स्थिति तथा आर्थिक पिछड़ेपन के कारण यह निःशुल्क सेवा और भी विस्तृत रूप में आवश्यक हो जाती है।

जनपद में उपलब्ध चिकित्सालयों एवं औषधालयों तथा उनमें विद्यमान शैयाओं का यदि प्रति लाख व्यक्ति पर प्रस्तावित नार्म से तुलनात्मक अध्ययन किया जाय तो यह बात स्पष्ट सामने आती है कि इस ओर अधिक प्रयास की आवश्यकता है।

चालू योजना 1980-81 में ग्रामीण क्षेत्र में 10ऐलोपैथिक अस्पताल एवं औषधालय, एक प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र, 2होम्योपैथिक अस्पताल तथा ग्रामीण ऐलोपैथिक अस्पतालों में 40 शैयाओं का लक्ष्य प्रस्तावित है। नगरीय क्षेत्र में 3 एलोपैथिक अस्पतालों की स्थापना किया जाना भी प्रस्तावित है।

योजना में 30 परिवार कल्याण केन्द्र स्थापित करने तथा 3031 पुरुष एवं महिला बन्ध्याकरण एवं 1325 आई0यू0सी0डी0 का लक्ष्य परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित है।

योजना काल में चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य हेतु 48751 हजार रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है।

आयुर्वेदिक

योजना काल 1980-81 में ग्रामीण क्षेत्र में 4 आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने का लक्ष्य है जिसके लिये 80 हजार रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है ।

हरिजन एवं समाज कल्याण

हरिजन कल्याण हेतु शैक्षिक विकास कार्यक्रम, आर्थिक विकास कार्यक्रम, स्वास्थ्य एवं विकास कार्यक्रम योजनायें जनपद में चलाई जा रही है ।

हरिजन कल्याण की विभिन्न योजना के समय-समय पर निरीक्षण की आवश्यकता है परन्तु पर्याप्त साधन न होने से योजनाओं का अनुश्रवण नही हो पाता। अतः इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त समाज कल्याण की योजनायें- जैसे अनाथ एवं परित्यक्त शिशुओं के लिये शिशुसदन की स्थापना , बालिकाओं के लिये आश्रम पद्धति विद्यालय, आदर्श बाल गृह की स्थापना इत्यादि योजनाओं का समावेश योजना काल में किया गया है ।

वर्ष 1980-81 में पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्तियों के अन्तर्गत सामान्य कोर्स के लिये 211 पिछड़ी जातियों को, 825 अनुसूचित जातियों, 211 अनुसूचित जनजातियों को छात्रवृत्ति देने का लक्ष्य है ।

प्राविधिक एवं पेशेवर कोर्स के लिये 15 पिछड़ी जातियों, एवं 20 अनुसूचित जातियों के लोगों को छात्रवृत्ति देने का लक्ष्य है ।

हरिजन एवं समाज कल्याण सम्भाग हेतु योजना काल में कुल 1707-6 हजार रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है ।

बालाहार

बालाहर योजना जनपद के 112 विद्यालयों में संचालित है जिससे लगभग 11000 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। योजनाकाल में विशेष पुष्टाहार योजना के अन्तर्गत 2500 पूर्व विद्यालिन बच्चे तथा गर्भवती माताओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है ।

पंचायत

इस जनपद में 130 न्याय पंचायतें हैं जिनके अधीन 1231 ग्राम सभाएँ कार्यरत हैं। ये 130 न्याय पंचायतें व 1231 ग्रामसभायें जनपद के 14 विकास खण्डों में स्थित हैं।

पंचायतों को प्रोत्साहन देने के लिये प्रतिवर्ष जनपद में सबसे अच्छा कार्य करने वाली 3, ग्राम सभाओं को पुरूष्कृत किया जाता है। वर्ष 1980-81 की योजना में 3 ग्रामसभाओं को प्रोत्साहन देने की योजना है। जिसके लिये 2-7 हजार रूपया परिव्यय प्रस्तावित है।

जनपद के 14 विकास खण्डों में से 10 विकास खण्डों में पंचायत उपभोग सक्रिय है। जिनमें से 5 (हवालबाग, बागेश्वर, ताड़ीखेत, गरूड़, एवं धौलादेवी) विकास खण्ड पूर्णरूप से कार्यशील हैं। इस समय पंचायत उपभोगों में 474 ग्राम सभाओं की 266447 रूपये की अंशपूंजी लगी हुई है।

पंचायत उपभोगों को प्रदत्तकीय सहायक अनुदान तथा तकनीकी व्यक्तियों की नियुक्ति हेतु योजनाकाल में 15 हजार रूपये का परिव्यय प्रस्तावित है।

पंचायत पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु योजना काल में 3-6 हजार रूपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

जल - सम्पूर्ति

जनपद में स्वच्छ पेयजल सुलभ कराने की दिशा में शासन सतत प्रयत्नशील है। ग्रामीण क्षेत्र के अभावग्रस्त ग्रामों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। शासन की नीतिनुसार आगामी तीन वर्षों में प्रत्येक ग्राम में पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने की योजना है।

पेयजल योजना जो जल निगम द्वारा बनाई जाती है, उनका रखरखाव कुमाऊं जल संस्थान द्वारा किया जाता है। कुमाऊं जल संस्थान के समक्ष मुख्य समस्या आर्थिक है। पर्वतीय क्षेत्र की योजनायें रखरखाव

की दृष्टि से घाटे की होतीक है। योजनाओं की संख्या बढ़ने के साथ-साथ घाटे की धनराशि भी बढ़ती जाती है। अतः नई योजनायें बनाते समय ~~इसके~~ घाटे की सम्भावित धनराशि संस्थान को उपलब्ध करवाना आवश्यक है।

वर्ष 1980-81 के लिये जल-सम्पूर्ति सम्भाग हेतु 26491-7 हजार रूपये का परिव्यय प्रस्तावित है ।

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा वर्ष 1980-81 में केवल भूमि अर्जन करने की योजना है। जिसके लिये 10 हजार रूपये का परिव्यय प्रस्तावित है ।

वार्षिक-योजना 1980-81

रूपपत्र -1

जिला-अल्मोड़ा

{हजार रूपयों में}

क्र0सं0	कार्यक्रम	वर्ष का वास्तविक व्यय 1979-80			
		राज्य आयोजनागत	राज्य निगमों/प्राधिकरणों द्वारा पूंजी निवेश	केन्द्र द्वारा प्रायोजित	योग
1	2	3	4	5	6
	फलोपयोग एवं औद्यानिकी				
	नई योजनायें				
1-	बड़े राजकीय उद्यानों का सुदृढ़ीकरण	-	-	-	-
2-	अच्छी किस्म के वंशानुगत फलदार पौधा सामग्री एवं सब्जी बीज उत्पादन की योजना	290	-	-	290
3-	पर्वतीय क्षेत्र में आलू उत्पादन के सघानीकरण की योजना	17	-	-	17
4-	सामुदायिक फल संरक्षण केन्द्रों की स्थापना	-	-	-	-
5-	पर्वतीय क्षेत्र के विकास खण्डों में औद्यानिक कार्यक्रम का विस्तार एवं समन्वय	-	-	-	-
6-	उद्यान एवं पौधा रक्षाप्रसार सेवा का सुदृढ़ीकरण	-	-	-	-
7-	केन्द्रीय निदेशालय रानीखेत का सुदृढ़ीकरण	-	-	-	-
8-	नैनीताल क्लब के लान का तथा कैन्टपालिका रानीखेत के पार्को का सौन्दर्यीकरण	-	-	-	-
9-	औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र चौबटिया का सुदृढ़ीकरण	-	-	-	-
10-	फलों के विपणन की योजना	-	-	-	-
11-	चौबटिया में मशरूम हाऊस का निर्माण	-	-	-	-
	योग नई योजना	307	-	-	307

(हजार रूपयों में)

क्र0सं0	कार्यक्रम	वर्ष 1980-81 का परिव्यय			
		राज्य आयोजना	राजनिगमों/प्राधिकरणों आदि द्वारा पूंजी निवेश	केन्द्र द्वारा प्रतिधारित	योग
1	2	7	8	9	10
	फलोपयोग एवं औद्यानिकी				
	नई योजनायें				
1-	बड़े राजकीय उद्यानों का सुदृढ़ीकरण	-	-	-	-
2-	अच्छी किस्म के वंशानुगत फलदार पौध सामग्री एवं सब्जी बीज उत्पादन की योजना	195	-	-	195
3-	पर्वतीय क्षेत्र में आलू उत्पादन के सघनीकरण की योजना	108	-	-	108
4-	सामुदायिक फल संरक्षण केन्द्रों की स्थापना	11	-	-	11
5-	पर्वतीय क्षेत्र के विकास खण्डों में औद्यानिक कार्यक्रम का विस्तार एवं समन्वय	18	-	-	18
6-	उद्यान एवं पौधसंरक्षा प्रसार सेवा का सुदृढ़ीकरण	30	-	-	30
7-	केन्द्रीय निदेशालय रानीखेत का सुदृढ़ीकरण	46	-	-	46
8-	नैनीताल क्लब के लान का तथा कटरूपालिका रानीखेत के पार्थों का सौन्दर्यीकरण	59	-	-	59
9-	औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र चौबटिया का सुदृढ़ीकरण	325	-	-	325
10-	फलों के विपणन की योजना	81	-	-	81
11-	चौबटिया में मशरूम हाऊस का निर्माण	135	-	-	135
	योग नई योजना	1008	-	-	1008

1	2	3	4	5	6
	फलोपयोग एवं औद्यानिकी				
	चालू योजनायें				
1-	फल पौधा, सब्जी, बीज, सब्जी पौधा आदि के परिवहन पर राजसहायता	95	-	-	95
2-	औद्यानिक फसलों को कीट एवं व्याधियों के रोकथाम पर राजसहायता	43	-	-	43
3-	फल उत्पादकों तथा सेवारत व्यक्तियों को उद्यान प्रशिक्षण	84	-	-	84
4-	फल उत्पादों में वितरण हेतु आदर्श उद्यानों की स्थापना	83	-	-	83
5-	सामुदायिक उत्पादन एवं प्रशिक्षण की योजना	148	-	-	148
6-	दीर्घकालीन औद्यानिकरण का सम्वितरण	850	-	-	850
7-	फल उत्पादन हेतु दीर्घकालीन ऋण	68	-	-	68
8-	फलों के विपणन में प्रोत्साहन देने हेतु फलों के परिवहन पर राजसहायता	-	-	-	-
9-	दीर्घकालीन औद्यानिक ऋण के मूलधन पर राजसहायता	-	-	-	-
10-	फल उत्पादकों में औद्यानिक औजार यंत्रों के वितरण पर राजसहायता	2	-	-	2
11-	सेब, आलू आदि पर अनुसंधान की योजना	90	-	-	90
12-	विषाणुयुक्त शीतोष्ण फल वृक्षों के प्रमाणीकरण, निरीक्षण एवं पूंजीकरण योजना	49	-	-	49
13-	राजकीय शोध केन्द्र चौबटिया में नये किस्म के गुलाबों आदि पर अनुसंधान	68	-	-	68
14-	निर्यात प्रोन्नति के लिये अखरोट उत्पादन योजना	56	-	-	56
15-	पैकेज कार्यक्रम के अन्तर्गत सेब के सघन रोपण की योजना	9	-	-	9
16-	सब्जी बीज, आलू बीज, के संवर्धन, प्रमाणीकरण की योजना	37	-	-	37
17-	विशिष्ट औद्यानिक फसलों के विकास द्वारा व्यावर्तनीकरण की योजना	41	-	-	41
	योग चालू योजना	1723	-	-	1723
	योग फलोपयोग एवं औद्यानिक विभाग	2030	-	-	2030

1	2	3	4	5	6
	फलोपयोग एवं औद्यानिकी				
	चालू योजनायें				
1-	फल पौधा, सब्जीबीज, सब्जी पौधा आदि के परिवहन पर राजसहायता	75	-	-	75
2-	औद्यानिक फसलों को कीट एवं व्याधियों की रोकथाम पर राजसहायता	42	-	-	42
3-	फल उत्पादकों तथा रोवारत व्यक्तियों को उद्यान प्रशिक्षण	186	-	-	186
4-	फल उत्पादनों में वितरण हेतु आदर्श उद्यानों की स्थापना	50	-	-	50
5-	खुम्ब उत्पादन एवं प्रशिक्षण की योजना	93	-	-	93
6-	दीर्घकालीन औद्यानिकरण का वितरण	700	-	-	700
7-	खुम्ब उत्पादन हेतु दीर्घकालीन ऋण	-	-	-	-
8-	फलों के विपणन में प्रोत्साहन देने हेतु फलों के परिवहन पर राजसहायता	25	-	-	25
9-	दीर्घकालीन औद्यानिक ऋण के मूलधन पर राजसहायता	11	-	-	11
10-	फल उत्पादकों में औद्यानिक औजार संयंत्रों के वितरण पर राजसहायता	3	-	-	3
11-	रोव, आडू, आदि पर अनुसंधान की योजना	98	-	-	98
12-	विषाणुमुक्त शीतोष्ण फलवृक्षों के प्रमाणीकरण, निरीक्षण एवं पूंजीकरण योजना	52	-	-	52
13-	राजकीय शोध केन्द्र चौबटिया में नये किस्म के गुलाबों आदि पर अनुसंधान	81	-	-	81
14-	निर्यात प्रोन्नति के लिये अखरोट उत्पादन योजना	46	-	-	46
15-	पैकेज कार्यक्रम के अन्तर्गत रोव के सघन रोपण की योजना	27	-	-	27
16-	सब्जी बीज, आलू बीज के संवर्धन प्रमाणीकरण की योजना	54	-	-	54
17-	विविध औद्यानिक फसलों के विकास द्वारा व्यावर्तनीकरण की योजना	62	-	-	62
	योग चालू योजना	1605	-	-	1605
	योग फलोपयोग एवं औद्यानिक विभाग	2613	-	-	2613

1	2	3	4	5	6
2-	कृषि				
	नई योजना	–	–	–	–
	योग नई योजना	–	–	–	–
	चालू योजना				
1-	पर्वतीय क्षेत्रों में बीज सम्वर्धन प्रक्षेत्रों की स्थापना	–	–	–	–
2-	प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में सचल भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना	–	–	–	–
3-	पर्वतीय क्षेत्रों में उर्वरक परिवहन व्यय पर राज सहायता	–	–	–	–
4-	पर्वतीय क्षेत्र में अधिक उपजवाली प्रजातियों के अन्तर्गत बीज वितरण पर अनुदान की योजना	–	–	–	–
5-	पर्वतीय क्षेत्रों में दलहनी फसलों की सघन योजना	–	–	–	–
6-	पर्वतीय क्षेत्रों में पौधा सुरक्षा सेवा की सुदृढ़ीकरण की योजना	–	–	–	–
7-	पर्वतीय क्षेत्र में तिलहन सोयाबीन एवं सूरजमुखी उत्पादन की योजना	–	–	–	–
8-	पर्वतीय क्षेत्र में खाद्यान्न फसल उत्पादन के आंकलन के आधारपन की योजना	–	–	–	–
9-	पर्वतीय क्षेत्र में कृषि कार्यक्रमों को गतिशील बनाने की योजना	–	–	–	–
10-	प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र हवालबाग कृषि डिप्लोमा छात्रों को छात्रवृत्ति	–	–	–	–
11-	सोयाबीन विकास की केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	–	–	–	–
12-	सोयाबीन विकास की केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	–	–	–	–
	योग चालू योजना	–	–	–	–
	योग कृषि विभाग	–	–	–	–

1	2	7	8	9	10
	2- कृषि				
	नई योजना	-	-	-	-
	योग नई योजना	-	-	-	-
	चालू योजना				
	1- पर्वतीय क्षेत्रों में बीज सम्वर्द्धन प्रक्षेत्रों की स्थापना	82	-	-	82
	2- प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में अचल भूमि परिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना	60	-	-	60
	3- पर्वतीय क्षेत्रों में उर्वरक परिवहन व्यय पर राजसहायता	50	-	-	50
	4- पर्वतीय क्षेत्र में अधिक उपजवाली प्रजातियों के अन्तर्गत बीज विपणन पर अनुदान की योजना	-	-	-	-
	5- पर्वतीय क्षेत्रों में दलहनी फसलों की सघन योजना	34	-	-	34
	6- पर्वतीय क्षेत्रों में पौध सुरक्षा सेवा की सुदृढ़ीकरण की योजना	160	-	-	160
	7- पर्वतीय क्षेत्र में तिलहन सोयाबीन एवं सूरजमुखी उत्पादन की योजना	40	-	-	40
	8- पर्वतीय क्षेत्र में खाद्यान्न फसल उत्पादन के आंकलन के आधारपन की योजना	50	-	-	50
	9-पर्वतीय क्षेत्र में कृषि कार्यक्रमों को गतिशील बनाने की योजना	----	अप्राप्य	-------	
	10- प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र हवालबाग कृषि डिप्लोमा छात्रों को छात्रवृत्ति	90	-	-	90
	11-सोयाबीन विकास की केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	-	-	25	25
	12- सोयाबीन विकास की केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	-	-	49	49
	योग चालू योजना	566	-	74	640
	योग कृषि विभाग	566	-	74	640

1	2	3	4	5	6
	सहकारी समितियां				
	नई योजना				
1-	अधिकोषण	-	-	-	-
2-	क्रय-विक्रय	57	-	-	57
3-	भोषाज विकास	-	-	-	-
योग	नई योजना	57	-	-	57
	चालू योजना				
1-	अधिकोषण	64	-	-	64
2-	फल विपणन	102	-	-	102
योग	चालू योजना	166	-	-	166
योग	सहकारिता संभाग	223	-	-	223
	पेयजल एवं ग्रामीण विकास				
	नई योजना				
1-	पर्वतीय जिलों में पेयजल डिग्गी निर्माण	600	-	-	600
योग	नई योजना	600	-	-	600
	चालू योजना				
योग	चालू योजना	-	-	-	-
योग	पेयजल एवं ग्रामीण विकास संभाग	600	-	-	600
	लघु- सिंचाई				
	नई योजना				
1-	अधिक अन्न उपजाओं ऋण वितरण	610	-	-	610
2-	सामूहिक अनुदान	498	-	-	498
योग	नई योजना	1108	-	-	1108

1	2	7	8	9	10
	सहकारी संस्थाएं				
	नई योजना				
1-	अधिकोषण	-	-	-	-
2-	फल विपणन	226	-	-	226
3-	भेषाज विकास	115	-	-	115
योग	नई योजना	341	-	-	341
	चालू योजना				
1-	अधिकोषण	251	-	-	251
2-	फल विपणन	30	-	-	30
योग	चालू योजना	281	-	-	281
योग	सहकारिता विभाग	622	-	-	622
	पेयजल (ग्रामीण विकास)				
	नई योजना				
1-	पर्वतीय जिलों में पेयजल डिग्गी निर्माण	745	-	-	745
योग	नई योजना	745	-	-	745
	चालू योजना				
योग	चालू योजना	-	-	-	-
योग	पेयजल (ग्रामीण विकास) विभाग	745	-	-	745
	लघु सिंचाई				
	नई- योजना				
1-	अधिक अन्न उपजाओ ऋण वितरण	300	-	-	300
2-	सामूहिक अनुदान	200	-	-	200
योग	नई योजना	500	-	-	500

1	2	3	4	5	6
	लघु सिंचाई				
	चालू योजना				
	योग चालू योजना	-	-	-	-
	योग लघु सिंचाई सम्भाग	1108	-	-	1108
	पौष्टिक आहार				
	नई योजनायें				
1	व्यावहारिक पुष्टाहार कार्यक्रम	103	5-3	-	108
	योग नई योजना	103	5-3	-	108
	चालू योजना				
	योग चालू योजना	-	-	-	-
	योग चालू योजना	-	-	-	-
	योग पौष्टिक आहार सम्भाग	103	5-3	-	108
	एस0 एफ0 डी0 ए0/एम0 एफ0 ए0 एल0				
	क्षेत्रीय विकास विभाग	-	-	-	-
	योग एस0 एफ0 ए0 एल0 डी0 ए0 सम्भाग	-	-	-	-
	डी0पी0ए0 पी0	-	-	-	-
	योग डी0पी0ए0पी सम्भाग	-	-	-	-
	गन्ना	-	-	-	-
	योग गन्ना सम्भाग	-	-	-	-
	चकबन्दी	-	-	-	-
	योग चकबन्दी सम्भाग	-	-	-	-

1 2	7	8	9	10
लघु सिंचाई				
चालू योजना				
योग चालू योजना	-	-	-	-
योग लघु सिंचाई सम्भाग	500	-	-	500
पौष्टिक आहार				
नई योजनायें				
1- व्यवहारिक पुष्ठाहार कार्यक्रम	95	16	-	111
योग नई योजना	95	16	-	111
चालू योजना				
योग चालू योजना	-	-	-	-
योग चालू योजना	-	-	-	-
योग पौष्टिक आहार सम्भाग	95	16	-	111
एस0 एफ0 डी0 ए0/ एम0 एफ0 ए0 एल0				
§क्षेत्रीय विकास विभाग§	-	-	-	-
योग एस0 एफ0 डी0 ए0 सम्भाग	-	-	-	-
डी0 पी0 ए0 पी0	-	-	-	-
योग डी0 पी0 ए0 पी0	-	-	-	-
गन्ना	-	-	-	-
योग गन्ना सम्भाग	-	-	-	-
चकबन्दी	-	-	-	-
योग चकबन्दी सम्भाग	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6
	पशुपालन				
	नई योजनायें				
1-	वर्तमान पशु चिकित्सालयों पर भवन निर्माण § पूर्ण यूनिट §	-	-	-	-
2-	वर्तमान पशुचिकित्सालयों पर भवनों का निर्माण	-	-	-	-
3-	पशुसेवा केन्द्रों पर भवनों का निर्माण	-	-	-	-
4-	औषधि साज-सज्जा तथा तथा पशु/कुक्कुटआहार के भण्डारीकरण हेतु उपयुक्त स्थानों पर भण्डार गृहों का निर्माण	-	-	-	-
5-	सचल इकाई की स्थापना तथा किड़िया रोग नियंत्रण उपचार हेतु औषधि क्रय	-	-	-	-
6-	पशु चिकित्सालय तथा पशुसेवाकेन्द्रों पर जल तथा विद्युतीकरण की व्यवस्था एवं मरम्मत	-	-	-	-
7-	वर्तमान पशु चिकित्सालय एवं पशुसेवा केन्द्रों पर साज-सज्जा का बदलना	-	-	-	-
8-	वर्तमान समय में कार्यरत किराये के पशु सेवा केन्द्रों के किराये का प्राविधान	-	-	-	-
9-	कृतिम गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना	-	-	-	-
10-	कृतिम गर्भाधान केन्द्रों पर पशुधन विकास सहायकों के पदों का सृजन	-	-	-	-
11-	लघु/सीमान्त एवं भूमिहीन कृषक मजदूरों को शंकर बछड़ों पर अनुदान की योजना	42-6	-	-	42-6
12-	कृतिम गर्भाधान केन्द्रों में अड़गड़ों का प्रबन्ध	-	-	-	-
13-	कृतिम गर्भाधान केन्द्रों के लिये सीमन कन्टेनर्स क्रय	-	-	-	-
14-	लिक्विड नाइट्रोजन प्लांट के क्रय हेतु प्रासंगिक क्रय	-	-	-	-
15-	कृतिम गर्भाधान केन्द्रों के लिये भवनों का निर्माण	-	-	-	-
16-	कृतिम गर्भाधान केन्द्रों की मरम्मत व बिजली एवं पानी की व्यवस्था	-	-	-	-

1 2	7	8	9	10
पशुपालन				
नई योजनायें				
1- वर्तमान पशुचिकित्सालयों पर भवन निर्माण (पूर्ण यूनिट)	60-0	-	-	60-0
2- वर्तमान पशुचिकित्सालयों पर भवनों का निर्माण	30-0	-	-	30-0
3- पशु सेवाकेन्द्रों पर भवनों का निर्माण	60-0	-	-	60-0
4- औषधि साज-सज्जा तथा पशु कुक्कुट आहार के भाण्डारीकरण हेतु उपयुक्त स्थानों पर भाण्डारगृहों का निर्माण	100-0	-	-	100-0
5- चल इकाई की स्थापना तथा किड़ियारो नियंत्रण उपचार हेतु औषधि क्रय	135-0	-	-	135-0
6- पशुचिकित्सालय तथा पशुसेवाकेन्द्रों तथा जल तथा विद्युतीकरण की व्यवस्था एवं मरम्मत	50-0	-	-	50-0
7- वर्तमान पशु चिकित्सालय एवं पशुसेवा केन्द्रों पर साज-सज्जा का बदलना	20-0	-	-	20-0
8- वर्तमान समय में कार्यरत किराये के पशु सेवा केन्द्रों के किराये का प्राविधान	10-0	-	-	10-0
9- कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना	285-0	-	-	285-0
10- कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों पर पशुधन विकास सहायकों के पदों का सृजन	95-0	-	-	95-0
11- लघु/सीमान्त एवं भूमिहीन कृषक मजदूरों को शंकर बछड़ों पर अनुदान की योजना	95-0	-	-	95-0
12- कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों में अड़गड़ों का प्रबन्ध	18-0	-	-	18-0
13- कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों के लिये सीमन कन्टेनर्स क्रय	100-0	-	-	100-0
14- लिक्वुईड नाइट्रोजन प्लांट के क्रय हेतु प्रासंगिक क्रय	120-0	-	-	120-0
15- कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों के लिये भवनों का निर्माण	80-0	-	-	80-0
16- कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की मरम्मत व बिजली एवं पानी की व्यवस्था	10-0	-	-	10-0

1	2	3	4	5	6
	17- भोगेरा फार्म में एप्रोच रोड का मैटलिंग मैटलिंग	-	-	-	-
	18- कुलकेन्द्रों के लिये पशुधान विकास सहायक, ड्राइवर तथा चपरासी की नियुक्ति	-	-	-	-
	19- इमाडा से प्राप्त वाहनों की विशेष मरम्मत				
	20- कुक्कुट प्रक्षेत्र हवालबाग कुक्कुट गृहों तथा आवासीय गृहों की मरम्मत	-	-	-	-
	21- सघन कुक्कुट विकास खण्ड हेतु चपरासी एवं चौकीदार के पदों का सृजन	-	-	-	-
	22- वर्तमान भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्रों की पर भवन निर्माण	-	-	-	-
	23- भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्रों की मरम्मत एवं साज-सज्जा क्रय	-	-	-	-
	24- लुगाल उपकरणों का क्रय	-	-	-	-
	25- पशु चिकित्सालयों पर नस्ल सुधार हेतु बरबरी बकरे रखने की योजना	-	-	-	-
	26- नस्ल सुधार हेतु उन्नत नस्ल के बकरों का अनुदान पर वितरण	-	-	-	-
	27- भैंसवाड़ा-चारा अनुसंधान केन्द्र तथा उपकेन्द्रों का विकास एवं विस्तार	-	-	-	-
	योग नई योजना	42-6	-	-	42-6
	चालू योजना				
	1- पर्वतीय क्षेत्र में पशु चिकित्सालयों की स्थापना	9.0	-	-	9-0
	2- पर्वतीय क्षेत्र में पशुसेवा केन्द्रों की स्थापना	-	-	-	-
	3- स्थानीय निकायों द्वारा चालित पशु चिकित्सालयों का प्रान्तीयकरण	13-0	-	-	13-0
	4- ए तथा बी श्रेणी के चिकित्सालयों हेतु अतिरिक्त दवा तथा साज-सज्जा का क्रय	22-0	-	-	22-0

1	2	3	8	9	10
17-	भौंसोड़ा फार्म में एप्रोच रोड का मैटलिंग	150-0	-	-	150-0
18-	बुलकेन्द्रों के लिये पशुधन विकास सहायक, ड्राईवर तथा चपरासी की नियुक्ति	13-0	-	-	13-0
19-	इगाड़ा से प्राप्त वाहनों की विशेष मरम्मत	10-0	-	-	10-0
20-	कुक्कुट प्रक्षेत्र हवालबाग कुक्कुट गृहों तथा आवासीय गृहों की मरम्मत	50-0	-	-	50-0
21-	सहान कुक्कुट विकास खण्ड हेतु चपरासी एवं चौकीदार के पदों का सृजन	4-0	-	-	4-0
22-	वर्तमान भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्रों पर भवन निर्माण	35-0	-	-	35-0
23-	भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्रों की मरम्मत एवं साज-सज्जा	50-0	-	-	50-0
24-	बुग्याल उपकरणों का क्रय	1-0	-	-	1-0
25-	पशु चिकित्सालयों पर नस्ल सुधार हेतु बरबरीके बकरे रखने की योजना	10-0	-	-	10-0
26-	नस्ल सुधार हेतु उन्नत नस्ल के बकरों का अनुदान पर वितरण	4-0	-	-	4-0
27-	भौंसोड़ा चारा अनुसंधान केन्द्र तथा उपकेन्द्रों का विकास एवं विस्तार	30-0	-	-	30-0
योग नई योजना		1625-0	-	-	1625-0
	चालू योजना				
1-	पर्वतीय क्षेत्र में पशु चिकित्सालयों की स्थापना	110-0	-	-	110-0
2-	पर्वतीय क्षेत्र में पशुसेवा केन्द्रों की स्थापना	220-0	-	-	220-0
3-	स्थानीय निकायों द्वारा चालित पशु चिकित्सालयों का प्रान्तीयकरण	56-0	-	-	56-0
4-	ए तथा बी श्रेणी के चिकित्सालयों हेतु अतिरिक्त दवा तथा साज-सज्जा का क्रय	20-0	-	-	20-0

1	2	3	4	5	6
5-	खुरपकाक्तथा मुंहपका रोग नियंत्रण में टीका लगाने की व्यवस्था	7-0	-	-	7-0
6-	सांडों के क्रय एवं वितरण की योजना	24-0	-	-	24-0
7-	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र की स्थापना	30-00	-	-	30-0
8-	जर्सी सांडों का क्रय	-	-	-	-
9-	व्यवहारिक पुष्टाहार तथा कुक्कुट उत्पादन कार्यक्रम	2-0	-	-	2-0
10-	कुक्कुट आहार विक्रय पर होने वाले परिवहन व्यय पर राजसहायता	56-0	-	-	56-0
11-	वर्तमान कुक्कुट प्रक्षेत्रों का प्रसार एवं नये कुक्कुट प्रक्षेत्रों की स्थापना	85-0	-	-	85-0
12-	नये कुक्कुट प्रक्षेत्र एवं वर्तमान प्रक्षेत्रों हेतु जनरेटर का क्रय	103-0	-	-	103-0
13-	कुक्कुट प्रक्षेत्रों हेतु उच्च उत्पादन क्षमता वाले पेरेन्ट स्टाक का क्रय	-	-	-	-
14-	भेड़ प्रजनन फार्म तथा भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्रों की स्थापना	135-0	-	-	135-0
15-	पर्वतीय क्षेत्रों में भेड़ों को परोपजीवी कीटाणुओं के उपचार हेतु सामूहिक रूप से दवा पिलाना	11-0	-	-	11-0
16-	चारा विकास का सहकारीकरण	15-0	-	-	15-0
17-	नीली तथा जर्सी फार्मों के निर्माणाधीन कार्यों की पूर्ति	-	-	-	-
18-	पशुधन अधिकारी अल्मोड़ा के कार्यालय में एक लेखाकार तथा सहायक के पदों का सृजन	-	-	-	-
	योग चालू योजना	512-0	-	-	512-0
	योग पशुपालन सम्भाग	556-6	-	-	556-6
	मत्स्य	-	-	-	-
	योग मत्स्य सम्भाग	-	-	-	-

1	2	7	8	9	10
5-	खुरपका तथा मुहपका रोग नियंत्रण में टीका लगाने की व्यवस्था	-	-	-	-
6-	सांडों के क्रय एवं वितरण की योजना	25-0	-	-	25-0
7-	नैसर्गिक अभिजनन की स्थापना	96-0	-	-	96-0
8-	जर्सी सांड़ों का क्रय	25-0	-	-	25-0
9-	व्यवहारिक पुष्टाहार तथा कुक्कुट उत्पादन कार्यक्रम	8-0	-	-	8-0
10-	कुक्कुट आहार वितरण पर होने वाले परिवहन व्यय पर राजसहायता	50-0	-	-	50-0
11-	वर्तमान कुक्कुट प्रक्षेत्रों का प्रसार एवं नये कुक्कुट प्रक्षेत्रों की स्थापना	83-0	-	-	83-0
12-	नये कुक्कुट प्रक्षेत्र एवं वर्तमान प्रक्षेत्रों हेतु जनरेटर की क्रय	-	-	-	-
13-	कुक्कुट प्रक्षेत्रों हेतु उच्च उत्पादन क्षमता वाले पैरेन्ट स्टाक का क्रय	50-0	-	-	50-0
14-	भेड़ प्रजनन फार्म तथा भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्रों की स्थापना	130-0	-	-	130-0
15-	पर्वतीय क्षेत्रों में भेड़ों को परोपजीवी कीटाणुओं के उपचार हेतु सामूहिक रूप से दवा पिलाना	36-0	-	-	36-0
16-	चारा विकास का सघानीकरण	30-0	-	-	30-0
17-	सीती तथा कर्मी फार्मों के निर्माणाधीन कार्यों की पूर्ति	600-0	-	-	600-0
18-	पशुधन विकास अधिकारी अल्मोड़ा के कार्यालय में एक लेखाकार तथा एक सहायक के पदों का सृजन	16-0	-	-	16-0
	योग चालू योजना	1565-0	-	-	1565-0
	योग पशुपालन सम्भाग	3190-0	-	-	3190-0
	मत्स्य	-	- -	-	-
	योग मत्स्य सम्भाग	-	=	-	=

1	2	3	4	5	6
दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध सम्पूर्ति					
नई योजनायें					
1- दुग्ध सहकारिताओं को सहायता		97-0	-	-	97-0
योग नई योजना		97-0	-	-	97-0
चालू योजना					
1- वर्तमान दुग्ध संघों का पुर्नगठन सुदृढ़ीकरण तथा विस्तार		-	-	-	-
योग चालू योजना		-	-	-	-
योग दुग्ध सम्पूर्ति सम्भाग		97-0	-	-	97-0
वन-					
नई योजना		-	-	-	-
योग नई योजना		-	-	-	-
चालू योजना					
1- आर्थिक एवं औद्योगिक महत्व की प्रजातियों का वृक्षारोपण		396-0	-	-	396-0
2- सड़कों के किनारे वृक्षारोपण		136-0	-	-	136-0
3- संचार साधन		140-0	-	-	140-0
4- भवन निर्माण		50-0	-	-	50-0
5- सिविल सोयम वन क्षेत्रों में भूमि संरक्षण		3348-0	-	-	3348-0
6- हिमालय क्षेत्र में संमेकित भूमि संरक्षण व जल संरक्षण		-	-	-	-
7- रामगंगा नदी घाटी प्रयोजना		-	-	2439-0	2439-0
योग चालू योजना		4070-0	-	2439-0	6509-0
योग वन सम्भाग		4070	-	2439-0	6509-0

1	2	7	8	9	10
	दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध सम्पूर्ति				
	नई योजनायें				
1-	दुग्ध सहकारिताओं को सहायता	8-0	-	-	8-0
योग	नई योजना	8-0	-	-	8-0
	चालू योजना				
1-	वर्तमान दुग्धशालाओं का पुनर्गठन सुदृढ़ीकरण तथा विस्तार	210-0	-	-	210-0
योग	चालू योजना	210-0	-	-	210-0
योग	दुग्ध सम्पूर्ति विभाग	218-0	-	-	218-0
	वन-				
	नई योजना	-	-	-	-
योग	नई योजना	-	-	-	-
	चालू योजना				
1-	आर्थिक एवं औद्योगिक महत्व की प्रजातियों का वृक्षारोपण	278-0	-	-	278-0
2-	सड़कों के किनारे वृक्षारोपण	-	-	-	-
3-	संचार साधन	370-0	-	-	370-0
4-	भवन निर्माण	100-0	-	-	100-0
5-	सिविल सोयम वन क्षेत्रों में भूमि संरक्षण	3200-0	-	-	3200-0
6-	हिमालय क्षेत्र में समेकित भूमि संरक्षण व जल संरक्षण	-	-	-	-
7-	रामगंगा नदी घाटी योजना			3948-0	3948-0
योग	चालू योजना	3948-0	-	3948-0	7896-0
योग	वन विभाग	3948-0	-	3948-0	7896-0

1	2	3	4	5	6
	सिंचाई वृहद एवं मध्यम				
	नई योजनायें	-	-	-	-
	योग नई योजनायें	-	-	-	-
	चालू योजनायें				
1-	रामगंगा घाटी योजना	568-0	-	-	568-0
2-	अन्य लघु सिंचाई	5709-0	-	-	5709-0
	योग चालू योजना	6277-0	-	-	6277-0
	योग वृहद एवं मध्यम सिंचाई सम्भाग	6277-0	-	-	6277-0
	बाढ़-नियंत्रण				
	नई योजना				
1-	मानसरोवर कोटली का बाढ़ सुरक्षा कार्य	-	-	-	-
2-	जनपद अल्मोड़ा में कटाव निरोधक कार्य	-	-	-	-
	योग नई योजना	-	-	-	-
	चालू योजना	-	-	-	-
	योग बाढ़ नियंत्रण सम्भाग	-	-	-	-
	ग्रामीण विद्युतीकरण				
	नई योजना				
1-	ग्रामीण विद्युतीकरण	4052-0	-	-	4052-0
	योग नई योजना	4052-0	-	-	4052-0
	चालू योजना	-	-	-	-
	योग ग्रामीण विद्युतीकरण सम्भाग	4052-0	-	-	4052-0

1	2	7	8	9	10
	सिंचाई वृहद एवं मध्यम				
	नई योजनायें	-	-	-	-
	योग नई योजनायें	-	-	-	-
	चालू योजनायें				
1-	रामगंगा घाटी योजना	400-0	-	-	400-0
2-	अन्य लघु सिंचाई	4450-0	-	-	4450-0
	योग चालू योजना	4850-0	-	-	4850-0
	योग वृहद एवं मध्यम सिंचाई सम्भाग	4850-0	-	-	4850-0
	बाढ़- नियंत्रण				
	नई योजना				
1-	मानसरोवर कोटली का बाढ़ सुरक्षा कार्य	200-0	-	-	200-0
2-	जनपद अल्मोड़ा में कटाव निरोध का कार्य	30-0	-	-	30-0
	योग नई योजना	230-0	-	-	230-0
	चालू योजना	-	-	-	-
	योग बाढ़ नियंत्रण सम्भाग	230-0	-	-	230-0
	ग्रामीण विद्युतीकरण				
	नई योजना				
1-	ग्रामीण विद्युतीकरण	4439-0	-	-	4439-0
	योग नई योजना	4439-0	-	-	4439-0
	चालू योजना		-	-	-
	योग ग्रामीण विद्युतीकरण सम्भाग	4439-0	-	-	4439-0

1	2	3	4	5	6
	ग्रामीण एवं लघु उद्योग				
	नई योजना	-	-	-	-
	योग नई योजना	-	-	-	-
	चालू योजना				
1-	जिला उद्योग केन्द्र योजना	287-0	-	-	287-0
2-	जिला उद्योग केन्द्र ऋण	200-0	-	-	200-0
3-	ग्रोथ सेंटर ऋण	200-0	-	-	200-0
4-	केन्द्रीय पूंजी अनुदान	-	-	50-0	50-0
5-	परिवहन सहायता	30-0	-	-	30-0
6-	कालीन प्रशिक्षण केन्द्र	159-0	-	-	159-0
	योग चालू योजना	876-0	-	50-0	926-0
	योग ग्रामीण एवं लघु उद्योग विभाग	876-0	-	50-0	926=0
	हथाकरघा एवं वस्त्र उद्योग				
	नई योजना				
1-	प्रबन्धकीय सहायता	-	-	-	-
2-	हथाकरघों का आधुनिकीकरण	-	-	-	-
	योग नई योजना	-	-	-	-
	चालू योजना				
1-	मलवरी उद्योग	10-0	-	-	10-0
2-	टसर उद्योग	63-0	-	-	63-0
	योग चालू योजना	73-0	-	-	73-0
	योग हथारघा विभाग	73-0	-	-	73-0
	भूतत्व एवं खनिकर्म				
	नई योजना	-	-	-	-
	चालू योजना	-	-	-	-

1	2	7	8	9	10
	ग्रामीण एवं लघु उद्योग				
	नई योजना	–	–	–	–
	योग नई योजना	–	–	–	–
	चालू योजना				
1-	जिला उद्योग केन्द्र योजना	335-0	–	–	335-0
2-	जिला उद्योग केन्द्र ऋण	200-0	–	–	200-0
3-	ग्रोथ सेंटर ऋण	200-0	–	–	200-0
4-	केन्द्रीय पूंजी अनुदान	–	–	60-0	60-0
5-	परिवहन सहायता	40-0	–	–	40-0
6-	कालीन प्रशिक्षण केन्द्र	170-0	–	–	170-0
	योग चालू योजना	945-0	–	60-0	1005-0
	योग ग्रामीण एवं लघु उद्योग सम्भाग	945-0	–	60-0	1005-0
	हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग				
	नई योजना				
1-	प्रबन्धकीय सहायता	3-6	–	–	3-6
2-	हथकरघों का आधुनिकीकरण	4-0	–	–	4-0
	योग नई योजना	7-6	–	–	7-6
	चालू योजना				
1-	मलबरी उद्योग	150-0	–	–	150-0
2-	टसर उद्योग	100-0	–	–	100-0
	योग चालू योजना	250-0	–	–	250-0
	योग हथकरघा सम्भाग	250.0 [illegible]	–	–	[illegible] 25
	भूतत्व एवं खनिकर्म				
	नई योजना	–	–	–	–
	चालू योजना	–	–	–	–
	योग भूतत्व एवं खनिजकर्म सम्भाग	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6
	सार्वजनिक निर्माण विभाग				
	नई योजना				
1-	मोटर मार्गों का नव निर्माण	2763-0	-	-	2763-0
2-	खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत स्वीकृत मार्ग	312-0	-	-	312-0
3-	खाद्यान्न योजनान्तर्गत ग्रामीण मोटर मार्गों को चौड़ा करना	47-0	-	-	47-0
	योग नई योजना	3122-0	-	-	3122-0
	चालू योजना				
1-	मोटर मार्गों का नवनिर्माण	61180-0	-	-	61180-0
2-	मोटर मार्गों का पुन: निर्माण एवं सुधार	25344-0	-	-	25344-0
3-	पैदल मार्ग निर्माण	55-0	-	-	55-0
	योग चालू योजना	86579-0	-	-	86579-0
	योग सार्वजनिक निर्माण सम्भाग	89701-0	-	-	89701-0
	पर्यटन				
	नई योजना				
1-	पर्यटन आवास गृह बैजनाथ (20)	-	-	-	-
2-	पर्यटन आवास गृह दूनागिरी (20)	-	-	-	-
3-	पर्यटन आवासगृह लोहारखेत (20)	-	-	-	-
4-	स्वागत केन्द्र रानीखेत (40)	-	-	-	-
5-	होली-डे होम अल्मोड़ा का विस्तार (40)	-	-	-	-
	योग नई योजना	-	-	-	-
	चालू योजना				
1-	कौसानी काम्पलेक्स (80)	482-0	-	-	482-0
2-	होली-डे- होम अल्मोड़ा (44)	-	-	-	-
3-	पिण्डारी ग्लेशियर मार्ग पर लोहारखेत, नाकुरी, द्वाली एवं फुरकिया में सा0नि0वि0 में अति0 कक्ष का निर्माण	330-0	-	-	330-0

1 2	7	8	9	10
सार्वजनिक निर्माण विभाग				
नई योजना				
1- मोटर मार्गों का नव निर्माण	19212-0	-	-	19212-0
2- खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत स्वीकृत मार्ग	38-0	-	-	38-0
3- खाद्यान्न योजनान्तर्गत ग्रामीण मोटर मार्गों को चौड़ा करना	284-0	-	-	284-0
योग नई योजना	19534-0	-	-	19534-0
चालू योजना				
1- मोटर मार्गों का नवनिर्माण	55930-0	-	-	55930-0
2- मोटर मार्गों का पुन: निर्माण एवं सुधार	49068-0	-	-	49068-(
3- पैदल मार्ग निर्माण	495-0	-	-	495-(
योग चालू योजना	105493-0	-	-	105493-(
योग सार्वजनिक निर्माण सम्भाग	125027-0	-	-	125027-(
पर्यटन				
नई योजना				
1- पर्यटन आवास गृह बैजनाथ §20§	15-0	-	-	15-
2- पर्यटन आवास गृह दूनागिरी§20§	10-0	-	-	10-
3- पर्यटन आवास गृह लोहारखेत§20§	10-0	-	-	10-
4- स्वागत केन्द्र रानीखेत§40§	283-0	-	-	283-
5- होली-डे-होम अल्मोड़ा का विस्तार §40§	200-0	-	-	200-
योग नई योजना	518-0	-	-	518-
चालू योजना				
1- कौसानी काम्पलेक्स §80§	766-0	-	-	766-0
2- होलीडे होम अल्मोड़ा	91-0	-	-	91-0
3- पिण्डारी ग्लेशियर मार्ग पर लोहारखेत नाकुरी, ध्वाली एवं फुरकिया में सा0नि0वि0 में अतिरिक्त कक्षों का निर्माण§12§	306-0	-	-	306-0

1	2	3	4	5	6
4- रानीखेत काम्प्लेक्स (80)		1-0	-	-	1-0
योग चालू योजना		813-0	-	-	813-0
योग पर्यटन सम्भाग		813-0	-	-	813-0
उच्च शिक्षा					
नई योजनायें					
1- स्नातक तथा स्नातकोत्तर कालेजों मे नई संकायों तथा नये विषयों को प्रारम्भ करने हेतु अनुरक्षण अनुदान		-	-	-	-
2- नये राजकीय उपाधि महाविद्यालयों की स्थापना तथा अशासकीय उपाधि महाविद्यालयों का प्रान्तीयकरण		89-0	-	-	89.0
3- वर्तमान राजकीय उपाधि महाविद्यालयों का सुदृढ़ीकरण तथा नये संकायों एवं विषयों का समावेश		35-0		-	35-0
4- राजकीय उपमहाविद्यालयों के पुस्तकालयें वाचनालयों एवं प्रयोगशालाओं के गुणात्मक सुधार तथा विकास हेतु योजना		67-0	-	-	67-0
5- अनुदानित अशासकीय उपाधि महाविद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान		57-0	-	-	57-0
योग नई योजनायें		248-0	-	-	248-0
चालू योजनायें		-	-	-	-
बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा					
नई योजना		-	-	-	-
चालू योजनायें					
1- ग्रामीण तथा नगर क्षेत्रों में भवन रहित जूनियर बेसिक स्कूलों के भवन निर्माण हेतु अनुदान		27-0	-	-	27-0

1	2	7	8	9	10
4- रानीखेत काम्प्लेक्स		-	-	-	-
योग चालू योजना		1163-0	-	-	1163-0
योग पत्तन सम्भाग		1681-0	-	-	1681-0
उच्च-शिक्षा					
नई-योजनायें					
1- स्नातक तथा स्नातकोत्तर कालेजों को नई शाखाओं तथा नये विषयों को प्रारम्भ करने हेतु अनुरक्षण अनुदान		-	-	-	-
2- नये राजकीय उपाधि महाविद्यालयों की स्थापना तथा अशासकीय उपाधि महाविद्यालयों का प्रान्तीय करण		219-0	-	-	219-0
3- वर्तमान राजकीय उपाधि महा - विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण तथा नये शाखाओं एवं विषयों का समावेश		247-0	-	-	247-0
4- राजकीय उप महाविद्यालयों के पुस्तकालयों वाचनालयों एवं प्रयोगशालाओं के गुणात्मक सुधार तथा विकास हेतु योजना		62-0	-	-	62-0
5- अनुदानित अशासकीय उपाधि महा- विद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान		125-0	-	-	125-0
योग नई योजनायें		653-0	-	-	653-0
चालू योजनायें		-	-	-	-
बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा					
नई योजना		-	-	-	-
चालू योजनायें					
1- ग्रामीण तथा नगर क्षेत्रों में भवन रहित जूनियर बेसिक स्कूलों के भवन निर्माण हेतु अनुदान		240-0	-	-	240-0

1	2	3	4	5	6
2-	ग्रामीण तथा नगर क्षेत्रों के सीनियर बेसिक स्कूलों के भवन निर्माणार्थ अनुदान	276-0	-	-	276-0
3-	ग्रामीण क्षेत्रों में मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूल खोलने हेतु अनुदान	1758-0	-	-	1758-0
4-	नगर क्षेत्रों में बालक, बालिकाओं के जूनियर बेसिक स्कूल खोलने हेतु अनुदान	15-0	-	-	15-0
5-	जूनियर बेसिक स्कूलों में विज्ञानशिक्षा में सुधार एवं विज्ञान साज-सज्जा हेतु अनुदान	77-0	-	-	77-0
6-	ग्रामीण क्षेत्रों में छात्र संख्या में वृद्धि तथा स्थिरता हेतु बालिकाओं तथा निर्बल वर्ग के बालकों को पाठ्यपुस्तकों के वितरणार्थ प्रोत्साहन अनुदान	3-0	-	-	3-0
7-	ग्रामीण क्षेत्रों में बालकों एवं बालिकाओं के सीनियर बेसिक स्कूल खोलने हेतु अनुदान	2065-0	-	-	2065-0
8-	निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के उपलब्ध कराने हेतु सीनियर बेसिक स्कूलों में पाठ्य पुस्तक बैंक स्थापितकरने हेतु अनुदान	42-0	-	-	42-0
9-	ग्रामीण क्षेत्रों में सीनियर बेसिक स्कूल के लिये साज-सज्जा अनुदान	20-0	-	-	20-0
10-	निर्बल वर्ग के बच्चों को पोशाक देने की व्यवस्था	-	-	-	-
11-	राजकीय सीनियर बेसिक स्कूलों का हाईस्कूल स्तर पर क्रमोन्नति तथा नये राजकीय हाईस्कूलों का खोला जाना	487-0	-	-	487-0
12-	राजकीय हाईस्कूलों का इण्टरस्तर पर उच्चीकरण	236-0	-	-	236-0
13-	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अतिरिक्त अनुभाग खोलना तथा नये विषयों का समावेश	104-0	-	-	104-0
14-	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का सुदृढ़ीकरण	144-0	-	-	144-0
15-	विशेष पुष्टाहार योजना {बालाहार}	39-0	-	-	39-0
	योग चालू योजना	5293-0	-	-	5293-0
	योग शिक्षा सम्भाग	5541-0	-	-	5541-0

2	7	8	9	10
2- ग्रामीण तथा नगर क्षेत्रों के सीनियर बेसिक स्कूलों के भवन निर्माणार्थ अनुदान	500-0	-	-	500-0
3- ग्रामीण क्षेत्रों में मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूल खोलने हेतु अनुदान	1632-0	-	-	1632-0
4- नगर क्षेत्रों में बालक, बालिकाओं के जूनियर बेसिक स्कूल खोलने हेतु अनुदान	115-0	-	-	115-0
5- जूनियर बेसिक स्कूलों में विज्ञानशिक्षा में सुधार एवं विज्ञान साज-सज्जा हेतु अनुदान	77-0	-	-	77-0
6- ग्रामीण क्षेत्रों में छात्र संख्या में वृद्धि तथा स्थिरता हेतु बालिकाओं तथा निर्बल वर्ग के बालकों को पाठ्यपुस्तकों के वितरणार्थ प्रोत्साहन अनुदान	3-0	-	-	3-0
7- ग्रामीण क्षेत्रों में बालकों एवं बालिकाओं के सीनियर बेसिक स्कूल खोलने हेतु अनुदान	1180-0	-	-	1180-0
8- निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के उपलब्ध कराने हेतु सीनियर बेसिक स्कूलों में पाठ्यपुस्तक बैंक स्थापित करने हेतु अनुदान	42-0	-	-	42-0
9- ग्रामीण क्षेत्रों में सीनियर बेसिक स्कूलों के लिये साज-सज्जा अनुदान	20-0	-	-	20-0
10- निर्बल वर्ग के बच्चों को पोशाक देने की व्यवस्था	70-0	-	-	70-0
11- राजकीय सीनियर बेसिक स्कूलों का हाईस्कूल स्तर पर क्रमोन्नति तथा नये राजकीय हाईस्कूलों का खोला जाना	980-0	-	-	980-0
12- राजकीय हाईस्कूलों का इण्टर स्तर पर उच्चीकरण	338-0	-	-	338-0
13- राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अतिरिक्त अनुभाग खोलना तथा नये विषयों का समावेश	178-0	-	-	178-0
14- राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का सुदृढ़ीकरण	420-0	-	-	420-0
15- विशेष पुष्टाहार योजना (बालाहार)	200-0	-	-	200-0
योग चालू योजनायें	5995-0	-	-	5995-0
योग शिक्षा विभाग	6648-0	-	-	6648-0

1	2	3	4	5	6
	प्राविधिक-शिक्षा				
	नई योजनायें	-	-	-	-
	चालू योजनायें	-	-	-	-
	योग प्राविधिक शिक्षा सम्भाग	-	-	-	-
	चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य				
	नई योजनायें	-	-	-	-
	योग नई योजनायें	-	-	-	-
	चालू योजनायें				
1-	चिकित्सा	66-0	-	595-0	661-0
2-	स्वास्थ्य	66-0	-	591-0	657-0
3-	परिवार कल्याण	176-0	-	1584-0	1760-0
4-	होम्योपैथिक	1-0	-	6-0	7-0
	योग चालू योजनायें	309-0	-	2776-0	3085-0
	योग चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य सम्भाग	309-0	-	2776-0	3085-0
	आयुर्वेदिक				
	नई योजनायें	-	-	-	-
	चालू योजनायें	70-0	-	-	70-0
	योग आयुर्वेदिक सम्भाग	70-0	-	-	70-0
	हरिजन एवं समाज कल्याण				
	नई योजनायें				
1-	अनाथ एवं परित्यक्त शिशुओं के लिये शिशुसदन की स्थापना	7-5	-	-	7-5
2-	बालिकाओं के लिये आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना	54-1	-	-	54-1
3-	आदर्श बालगृह की स्थापना	1-5	-	-	1-5

1	2	7	8	9	10
	प्राविधिक शिक्षा				
	नई योजनायें	-	-	-	-
	चालू योजनायें	-	-	-	-
	योग प्राविधिक शिक्षा भाग	-	-	-	-
	चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य				
	नई योजनायें	-	-	-	-
	योग नई योजनायें	-	-	-	-
	चालू योजनायें				46782-0
1	चिकित्सा	4679-0	-	42103-0	
2	स्वास्थ्य	81-0	-	729-0	810-0
3	परिवार कल्याण	108-0	-	968-0	1076-0
4	होम्योपैथिक	8-0	-	75-0	83-0
	योग चालू योजनायें	4876-0	-	43875-0	48751-0
	योग चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य भाग	4876-0	-	43875-0	48751-0
	आयुर्वेदिक				
	नई योजनायें	-	-	-	-
	चालू योजनायें	80-0	-	-	80-0
	योग आयुर्वेदिक भाग	80-0	-	-	80-0
	हरिजन एवं समाज कल्याण				
	नई योजनायें				
1	अनाथ एवं परित्यक्त शिशुओं के लिये शिशुसदन की स्थापना	120-0	-	-	120-0
2	बालिकाओं के लिये आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना	244-0	-	-	244-0
3	आदर्श बालगृह की स्थापना	200-1	-	-	200-1

1	2	3	4	5	6
4-	हायर पर्चेज पद्धति के आधार पर दुकान निर्माण	-	-	-	-
5-	खेतीहर मजूदूरों के लिये कृषि योग्य भूमि क्रय करना	-	-	-	-
6-	अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को कानूनी सहायता	-	-	-	-
7-	नेत्रहीन विकलांगों के शारिरीक रूप से अक्षम व्यक्तियों को अनुदान	-	-	-	-
	योग नई योजना	63-1	-	-	63-1
	चालू योजनायें				
1-	दशमोत्तर कक्षाओं में अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति	-	-	175-0	175-0
2-	दशमोत्तर कक्षाओं में अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति	11-0	-	-	11-0
3-	पूर्व दशम कक्षाओं में अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति	-	-	-	-
4-	पूर्वदशम कक्षाओं में अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति	-	-	-	-
5-	पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति	-	-	-	-
6-	अनुसूचित जाति के छात्रों को शुल्क क्षतिपूर्ति	-	-	-	-
7-	अनुसूचित जनजाति के छात्रों को शुल्क क्षतिपूर्ति	-	-	-	-
	आर्थिक विकास	२०७४-०	-	-	२०७४-०
8-	अनुसूचित जाति कुटीर उद्योग	२००२-०	-	-	२००२-०
9-	अनुसूचित जनजाति कुटीर उद्योग	500-0	-	-	500-0
10-	अनुसूचित जाति कृषि उद्योग	४५०-०	-	-	४५०-०
11-	अनुसूचित जनजाति कृषि उद्योग	[illegible]	-	-	[illegible]
12-	विशेष योजना भोटिया विकास	-	-	-	-
13-	अनुसूचित जनजाति पुर्नवासन	२२८-०	-	-	३३८-०
	योग चालू योजना	11-0	-	175-0	186-0
	योग हरिजन कल्याण विभाग	74-1	-	175-0	249-1

1	2	7	8	9	10
4-	हायर पर्चेज पद्धति के आधार पर दुकान निर्माण	40-0	-	-	40-0
5-	खेतिहर मजदूरों के लिये कृषि योग्य भूमि क्रय करना	50-0	-	-	50-0
6-	अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को कानूनी राजसहायता	5-0	-	-	5-0
7-	नेत्रहीन विकलांगों व शारीरिकरूप से अक्षम व्यक्तियों को अनुदान	30-0	-	-	30-0
	योग नई योजनायें	689-1	-	-	689-1
	चालू योजनायें				
1-	दशमोत्तर कक्षाओं में अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति	200-0	-	-	200-0
2-	दशमोत्तर कक्षाओं में अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति	30-0	-	-	30-0
3-	पूर्वदशम कक्षाओं में अनुसूचितजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति	62-0	-	-	62-0
4-	पूर्व दशम कक्षाओं में अनुसूचित जन-जातिके=छात्रों को छात्रवृत्ति	5-5	-	-	5-5
5-	पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति	40-0	-	-	40-0
6-	अनुसूचित जाति के छात्रों को शुल्क क्षतिपूर्ति	12-0	-	-	12-0
7-	अनुसूचित जनजाति के छात्रों को शुल्क क्षतिपूर्ति आर्थिक विकास	5-0	-	-	5-0
8-	अनुसूचित जाति कुटीर उद्योग	140-0	-	-	140-0
9-	अनुसूचित जनजाति कुटीर उद्योग	50-0	-	-	50-0
10-	अनुसूचित जाति कृषि उद्योग	140-0	-	-	140-0
11-	अनुसूचित जनजाति कृषि उद्योग	14-0	-	-	15=0
12-	विशेष योजना (भोटिया विकास)	220-0	-	-	220-0
13-	अनुसूचित जनजाति पुर्नवासन	100-0	-	-	100-0
	योग चालू योजना	1018-5	-	-	1018-5
	योग हरिजन कल्याण सम्भाग	1707-6	-	-	1707-6

1	2	3	4	5	6
	पंचायत				
	नई योजना	-	-	-	-
	योग नई योजना	-	-	-	-
	चालू योजना				
1-	पंचायत उद्योगों को प्रबन्धकीय सहायक अनुदान तथा तकनीकी कर्मियों की नियुक्ति	8-2	-	-	8-2
2-	गांवसभा को प्रोत्साहन	2-7	-	-	2-7
3-	पंचायत पदाधिकारियों को प्रोत्साहन	3-6	-	-	3-6
	योग चालू योजना	14-5	-	-	14-5
	योग पंचायत सम्भाग	14-5	-	-	14-5
	प्रादेशिक विकास दल	-	-	-	-
	योग प्रादेशिक विकास दल सम्भाग	-	-	-	-
	श्रमायुक्त संगठन	-	-	-	-
	योग श्रमायुक्त संगठन सम्भाग	-	-	-	-
	उ0प्र0राज्य कृषि औद्योगिक निगम	-	-	-	-
	योग राज्य कृषि औद्योगिक सम्भाग	-	-	-	-
	उ0प्र0, राज्य भाण्डागार निगम	-	-	-	-
	योग राज्य भाण्डागार निगम सम्भाग	-	-	-	-
	उ0प्र0राज्य चीनी निगम सम्भाग	-	-	-	-
	उ0प्र0लघु उद्योग निगम सम्भाग	-	-	-	-
	उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम सम्भाग	-	-	-	-
	उ0प्र0 राज्य खनिज विकास निगम	-	-	-	-

1	2	7	8	9	10
	पं[illegible]यत				
	नई [illegible]ोजना	-	-	-	-
	[illegible] नई [illegible]ोजना	-	-	-	-
	चालू [illegible]ोजना				
1-	[illegible] [illegible] को प्रवन्धकीय [illegible] अनुदान तथा तकनीकी [illegible] की नियुक्ति	15-0	-	-	15-0
2-	[illegible] को प्रोत्साहन	2-7	-	-	2-7
3-	पंचायत पदाधिकारियों को प्रोत्साहन	3-6	-	-	3-6
	योग चालू योजना	21-3	-	-	21-3
	योग पंचायत सम्भाग	21-3	-	-	21-3
	प्रादेशिक विकास दल	-	-	-	-
	योग प्रादेशिक विकास दल सम्भाग	-	-	-	-
	श्रमायुक्त संगठन	-	-	-	-
	योग श्रमायुक्त संगठन सम्भाग	-	-	-	-
	उ०प्र०, राज्य कृषि औद्योगिक निगम	-	-	-	-
	योग राज्य कृषि औद्योगिक सम्भाग	-	-	-	-
	उ०प्र० राज्य भाण्डारगार निगम	-	-	-	-
	योग राज्य भाण्डारागार निगम सम्भाग	-	-	-	-
	उ०प्र० राज्य चीनी निगम	-	-	-	-
	[illegible] लघु उद्योग निगम सम्भाग	-	-	-	-
	उ०प्र० राज्य वस्त्र निगम सम्भाग	-	-	-	-
	[illegible] राज्य खनिज विकास निगम	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6
	उ0प्र0 जल -निगम				
	नई योजनायें				
1-	ग्रामीण पेयजल योजनायें (विश्व बैंक कार्यक्रम)	-	-	-	-
2-	ग्रामीण पेयजल योजनायें (सामान्य कार्यक्रम)	-	-	-	-
3-	नगर पेयजल योजनायें	-	-	-	-
4-	नगर जलोत्सारण योजनायें	-	-	-	-
5-	ग्रामीण पेयजल योजनायें (त्वरित कार्यक्रम)	-	-	-	-
	योग नई योजनायें	-	-	-	-
	चालू योजनायें				
1-	ग्रामीण पेयजल योजनायें (विश्व बैंक कार्यक्रम)	5733-0	-	-	5733-0
2-	ग्रामीण पेयजल योजनायें (सामान्य कार्यक्रम)	20300-7	-	-	20300-7
3-	नगर पेयजल योजनायें	1075-9	-	-	1075-9
4-	नगर जलोत्सारण योजनायें	-	-	-	-
5-	ग्रामीण पेयजल योजनायें (त्वरित कार्यक्रम)	-	-	744-0	744-0
	योग चालू योजनायें	21709-6	-	744-0	27853-6
	योग जलनिगम सम्भाग	21709-6	-	744-0	27853-6
	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषाद				
	नई योजना				
1-	भूमि अर्जन	-	-	-	-
	योग नई योजना	-	-	-	-
	चालू योजना	-	-	-	-
	योग उ0प्र0आवास एवं विकास परिषाद सम्भाग	-	-	-	-

1	2	7	8	9	10
	उ0प्र0 जल निगम				
	नई योजनायें				
1-	ग्रामीण पेयजल योजनायें (विश्वबैंक कार्यक्रम)	-	-	-	-
2-	ग्रामीण पेयजल योजनायें (सामान्य कार्यक्रम)	-	-	-	-
3-	नगर पेयजल योजनायें	-	-	-	-
4-	नगर जलोत्सारण योजनायें	-	-	-	-
5-	ग्रामीण पेयजल योजनायें (त्वरित कार्यक्रम)	-	-	-	-
	योग नई योजनायें	-	-	-	-
	चालू योजनायें				
1-	ग्रामीण पेयजल योजनायें (विश्व बैंक कार्यक्रम)	4517-9	-	-	4517-9
2-	ग्रामीण पेयजल योजनायें (सामान्य कार्यक्रम)	19210-7	-	-	19210-7
3-	नगर पेयजल योजनायें	1719-4	-	-	1719-4
4-	नगर जलोत्सारण योजनायें	-	-	-	-
5-	ग्रामीण पेयजल योजनायें (त्वरित कार्यक्रम)	-	-	1043-7	1043-7
	योग चालू योजनायें	25448-0	-	1043-7	26491-7
	योग जल निगम सम्भाग	25448-0	-	1043-7	26491-7
	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद				
	नई योजना				
1-	भूमि अर्जन	10-0	-	-	10-0
	योग नई योजना	10-0	-	-	10-0
	चालू योजना	-	-	-	-
	योग उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद सम्भाग	10-0	-	-	10-0

वार्षिक योजना 1980-81

रूपपत्र- 2

भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धियां

जिले का नाम- अल्मोड़ा

क्रम सं0	मद	इकाई	वर्ष 1979-80 की उपलब्धियां	वर्ष 1980-81 के लक्ष्य
1	2	3	4	5
1-	कृषि			
(1)	भूमि उपयोगिता के लिये प्रतिवेदित क्षेत्र	हजार हे0	546-0	546-0
(2)	वनों के अन्तर्गत क्षेत्र	,,	289-0	290-0
(3)	ऊसर और कृषि के योग्य बंजर भूमि	,,	10-0	9-0
(4)	कृषि के अतिरिक्त उपयोग में लाई गई भूमि	,,	8-0	8-2
(5)	कृषि अयोग्य बंजर भूमि	,,	54-0	53-0
(6)	स्थायी और अन्य चरागाह	,,	42-0	42-0
(7)	अन्य उद्यानों/वृक्षों के फसलों का क्षेत्र	,,	20-6	20-7
(8)	वर्तमान परती भूमि	,,	16-4	15-7
(9)	अन्य परती भूमि	,,	-	-
(10)	शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल	,,	106-0	107-4
(11)	एक बार से अधिक बोया क्षेत्र	,,	67-0	67-8
(12)	सकल बोया गया क्षेत्र	,,	173-0	175-2
(13)	कुल खाद्य फसलें	,,	158-3	158-8
(14)	कुल अखाद्य फसलें	,,	14-7	16-4
(15)	खरीफ फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र	,,	106-0	107-4
(16)	रबी फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र	,,	67-0	67-8
(17)	जायद फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र	,,	-	-
(18)	फसल सघनता	प्रतिशत	163-2	163-2
(19)	खरीफ के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र	हजार हे0	10-67	10-68
(20)	रबी के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र	,,	11-77	11-93

1	2	3	4	5
(21)	जायद के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र	हजार हे0	-	-
(22)	सकल सिंचित क्षेत्रफल	,,	22-44	22-61
(23)	शुद्ध सिंचित क्षेत्र	,,	11-77	11-93
(24)	सिंचाई की सघनता			
	1- शुद्ध सिंचित क्षेत्र में शुद्ध बोये गये क्षेत्र से	प्रतिशत	11-1	11-1
	2- कुल सिंचित क्षेत्र में कुल बोयगये क्षेत्र से	,,	12-8	12-9
(25)	कृषि योग्य भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र से	,,	28-0	28-0
(26)	शुद्ध बोये गये क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्र से	,,	19-0	19-6
(27)	विभिन्न स्त्रों के द्वारा सिंचित क्षेत्र-			
	1- नहर	हजार हे0	2-02	2-20
	2-राजकीय लघु सिंचाई (पम्पसेट+ टैक+हाईड्रम)	,,	0-32	0-33
	3- अन्य-व्यक्तिगत लघु सिंचाई (हौज+गूल + पम्पसेट)	,,	9-43	9-40
(28)	उन्नतशील एक्जोटिक किस्मों के बीजों का वितरण-	कुन्तल	571	630
(29)	अधिक उत्पादन वाली एक्जोटिक किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र-			
	1- धान	हजार हे0	11-1	12-0
	2- मक्का	,,	0-4	0-5
	3- बाजरा	,,	-	-
	4- गेहूँ	,,	15-3	16-8
	5- ज्वार	,,	-	-
(30)	फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र-			
	1- खाद्यान्न:-			
	(क) खरीफ	हजार हे0		
	1- धान	,,	30-0	30-5
	2- ज्वार	,,	-	-

1	2	3	4	5
	3- बाजरा	हजार है0	-	-
	4- मक्का	,,	2-0	2-1
	5- खरीफ दालें	,,	0-7	0-7
	6- अन्य (कुदो, सांवा, गहत, भट्ट)	,,	64-6	64-0
	योग खरीफ खाद्यान्न	,,	97-3	97-3
	(ब) रबी :-			
	1- गेहूँ	,,	50-0	51-0
	2- जौ	,,	7-0	6-5
	3- चना	,,	-	-
	4- मटर	,,	0-4	0-4
	5- अरहर	,,	-	-
	6- मसूर	,,	2-0	2-2
	7- अन्य	,,	1-6	1-4
	योग रबी खाद्यान्न	,,	61-0	61-5
	(ग) जायद :-	,,	-	-
	योग जायद खाद्यान्न	,,	-	-
	कुल खाद्यान्न	,,	158-3	158-8
	2- वाणिज्यिक फसलें			
	1- मूंगफली	,,	-	-
	2- लाही/सरसों	,,	3-0	3-3
	3- सूरजमुखी	,,	-	-
	4- सोयाबीन	,,	6-6	7-3
	5- अन्य तिलहन (तिल)	,,	0-1	0-2
	6- गन्ना	,,	-	-
	7- आलू	,,	4-5	5-0
	8- तम्बाकू	,,	-	-
	9- अन्य (मिर्च)	,,	0-5	0-6
	योग वाणिज्यिक फसलें	,,	14-7	16-4
	(3) मुख्य फसलों का उत्पादन :-			
	क- खाद्यान्न :-			
	1- धान	हजार मै0टन	35-13	36-60
	2- ज्वार	,,	-	-
	3- बाजरा	,,	-	-
	4- मक्का	,,	1-89	2-10

1	2	3	4	5
	5- गेहूं	हजार मी0टन	57-15	60-69
	6- जौ	,,	7-00	6-63
	7- अन्य (मडुवा, सांवा, गहत, भाट्ट)	,,	58-70	59-16
	योग कुल खाद्यान्न	,,	159-87	165-18
	(ख) दाल :-			
	1- उर्द	,,	0-63	0-65
	2- मूंग	,,	-	-
	3- चना	,,	-	-
	4- मटर	,,	0-40	0-41
	5- अरहर	,,	-	-
	6- मसूर	,,	1-20	1-34
	7- अन्य	,,	-	-
	योग दालें	,,	2-23	2-40
	(ग) वाणिज्यिक फसलें :-			
	1- मूंगफली	,,	-	-
	2- लाही /सरसों	,,	1-80	2-01
	3- सूरजमुखी	,,	-	-
	4- सोयाबीन	,,	6-73	7-66
	5- अन्य तिलहन (तिल)	,,	0-04	0-09
	6- गन्ना	,,	-	-
	7- आलू	,,	67-50	80-00
	8- तम्बाकू	,,	-	-
	9- अन्य (मिर्च)	,,	0-30	0-37
	योग	,,	76-37	90-13
(32)	पौधा सुरक्षा के अन्तर्गत क्षेत्र	हजार है0	2-56	2-80
(33)	भूमि संरक्षण (राज्य)			
	1- कृषि भूमि में ,,	,,	0-900	0-900
	2- रेवाइन्स में ,,	,,	-	-
(34)	रासायनिक उर्वरक का वितरण			
	1- नेत्रजन			
	क- कृषि विभाग द्वारा (राज्य)	हजार मी0टन	0-400	0-500
	2- फास्फेटिक			
	क- कृषि विभाग द्वारा (राज्य)	,,	0-200	0-200
	3- पोटास			
	क- कृषि विभाग द्वारा (राज्य)	,,	0-090	0-100

1	2	3	4	5
(35)	कम्पोस्ड खाद का उत्पादन	हजार मै0टन	860-0	1130-0
(36)	हरी खाद के अन्तर्गत क्षेत्र	हजार है0	-	-
(37)	गोबर गैस संयन्त्रों की स्थापना (राज्य)	सं0	-	-
2-	फलोपयोग एवं औद्यानिकी :-			
(1)	फलों/उद्यानों के अन्तर्गत लाया गया अतिरिक्त क्षेत्रफल (राज्य)	हजार है0	0-751	0-750
(2)	शाक-सब्जी के अन्तर्गत लाया गया अतिरिक्त क्षेत्रफल (राज्य)	,,	0-180	0-100
(3)	फलों का उत्पादन (राज्य)	हजार मै0टन	30-00	34-00
(4)	आलू का उत्पादन (राज्य)	,,	36-00	38-00
(5)	पौधा रक्षा कार्य (राजय)	हज़ार है0	4-297	3-500
(6)	पुराने उद्यानों का जीर्णोद्धार (राज्य)	,,	0-943	0-925
3-	गन्ना विकास :-			
(1)	वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत गन्ना क्षेत्रफल (राज्य)	,,	-	-
(2)	वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत गन्ना का उत्पादन, गुड़ के रूप में (राज्य)	हजार मै0टन	-	-
(3)	लघु/निजी सिंचाई के अन्तर्गत अतिरिक्त सिंचित क्षमता का सृजन (राज्य)	हजार है0	-	-
(4)	नलकूपों की संख्या जिनके द्वारा अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन (राज्य)	सं0	-	-
(5)	अधिक उपज देने वाली जातियों का बीज वितरण (राज्य)	हजार मै0टन	-	-
(6)	रासायनिक उर्वरकों का वितरण (राज्य) तत्व के रूप में -			
	क- नेत्रजन	हजार मै0टन	-	-
	ख- फास्फेटिक	,,	-	-
	ग- पोटास	,,	-	-
4-	चकबन्दी			
1-	चकबन्दी के अन्तर्गत क्षेत्र (राज्य)	हजार है0	-	-

1	2	3	4	5
	निजी लघु सिंचाई			
	1- पक्के कुएँ (राज्य)	संख्या	-	-
	2- कूप बोरिंग	..	-	-
	3- रहट (..)	..	-	-
	4- पहाड़ी क्षेत्र में गूल निर्माण (राज्य)	कि0मी0	83-082	111-000
	5-पम्पसैट (राज्य)	संख्या	1	-
	6- पहाड़ी क्षेत्र में हौज निर्माण (राज्य)	..	323	450
	7- सिंचन क्षमता का सृजन (राज्य)	हजार है0	0-759	1-045
6-	लघु कृषक विकास ऐजेन्सी कार्यक्रम (राज्य)			
	1-			-
	2-			-
7-	सूखोन्मुखी विकास योजना कार्यक्रम (राज्य)			
	(1)	..		-
	(2)			-
8-	पशुपालन			
	(1) पशुचिकित्सालय/ औषधालय (राज्य)	संख्या		-
	(2) स्टाक मैन सेंटर (पशुसेवा केन्द्र)	..	-	5
	(3) कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र (राज्य)	..		5
	(4) कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र (..)	..	-	-
	(5) भेड़ एवं ऊन विस्तार केन्द्र (..)	..	-	-
	(6) राजकीय कुक्कुट फार्म (..)	..	-	-
	(7) सहकारी कुक्कुट फार्म (..)	..	-	-
	(8) चारे की फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र	हजार है0	-	-
	(9)			
9-	दुग्ध एवं दुग्ध सम्पूर्ति			

1	2	3	4	5
10-	**मत्स्य :-**			
	{1} श्रमिक मछुवा सहकारी समितियां {राज्य}	संख्या	-	-
	{2} अंगुलिकाओं का वितरण {राज्य}	लाख में	0-03	0-06
	{3} मत्स्य बीज फार्म {राज्य}	संख्या	-	-
	{4} राजकीय जलाशय मत्स्योत्पादन {राज्य}	कुन्तल	-	-
11-	**बन :-**			
	{1} बन विभाग के प्रबन्ध के अन्तर्गत कुल क्षेत्र {राज्य}	हजार हे0	149-030	149-030
	{2} वर्कप्लान क्षेत्र {राज्य}	,,	393-981	393-981
	{3} आर्थिक महत्व के वृक्षों का क्षेत्र {राज्य}	,,	0-329	0-220
	{4} जल्दी उगने वाले वृक्षों का क्षेत्र {राज्य}	,,	-	-
	{5} ईंधन वृक्षों का क्षेत्र {राज्य}	,,	-	-
	{6} सड़कों की लम्बाई		-	-
	1- सरफेस्ड {राज्य}	कि0मी0	-	-
	2- अनसरफेस्ड {राज्य}	,,	-	-
	{7} रिवाइन रिक्लेमेशन {राज्य}	हजार हे0	1-255	1-245
12-	**सहकारिता :-**			
	{1} जिला सहकारी बैंक			
	क- शाखायें {राज्य}	संख्या	-	-
	ख- जमा धनराशि {राज्य}	हजार रू0	3150-0	1200-0
	ग- ऋण वितरण			
	1- अल्पकालीन {राज्य}	,,	3814-0	5855-0
	2- मध्यकालीन {राज्य}	,,	1925-0	2950-0
	घ- भूमि विकास बैंक			
	1- शाखायें {राज्य}	संख्या	-	-
	2- दीर्घकालीन ऋण वितरण {राज्य}	हजार रू0	-	8750-0
	{2} प्राथमिक ऋण समितियां			
	{1} समितियां {राज्य}	संख्या	-	-
	{2} सदस्यता {,,}	हजार में	3-2	4-0

[illegible] :-

1	2	3	4	5
	(3) अंश पूंजी (राज्य)	हजार रू०	276-0	80-0
	(4) जमा पूंजी (,,)	,,	-	-
	(5) अल्पकालीन ऋण वितरण (राज्य)	,,	3814-0	5855-0
	(6) मध्यकालीन ऋण वितरण (,,)	,,	1925-0	2950-0
3-	विपणन सहकारी समितियाँ			
	(1) समितियाँ (राज्य)	संख्या	-	-
	(2) सदस्यता (,,)	,,	1183	40
	(3) अंशपूंजी (,,)	हजार रू०	144-0	7-0
	(4) विपणन की गई वस्तुओं का मूल्य			
	क- उर्वरक (राज्य)	,,	-	1000-0
	ख- बीज (,,)	,,	-	-
	ग- खाद्यान्न (राज्य)	,,	110-0	1500-0
	घ- अन्य (,,)	,,	2204-0	500-0
4-	सहकारी विधायन समितियाँ			
	(1) समितियाँ (राज्य)	संख्या	-	-
	(2) सदस्यता (,,)	,,	-	-
	(3) अंशपूंजी (,,)	हजार रू०	-	-
	(4) विधायन की गई वस्तुओं का मूल्य (राज्य)	,,	-	-
5-	उपभोक्ता सहकारी समितियाँ			
	(1) समितियाँ (राज्य)	संख्या	-	-
	(2) सदस्यता (,,)	,,	811	400
	(3) अंशपूंजी (,,)	हजार रू०	34-0	4-0
	(4) विक्रय की गई वस्तुओं का मूल्य (राज्य)	,,	787-0	2000-0
6-	रसायनिक उर्वरकों का वितरण, (तत्व के रूप में) (राज्य)			
	(1) नेत्रजन (राज्य)	हजार मी०टन	0-028	0-100
	(2) फास्फेटिक (,,)	,,	0-014	0-050
	(3) पोटास (,,)	,,	0-014	0-050

1	2	3	4	5
13-	**वृहत एवं मध्यम सिंचाई -**			
	1- राजकीय लघु सिंचाई			
	§क§ नलकूप §राज्य§	संख्या	-	-
	§ख§ नलकूप द्वारा सिंचन क्षमता का सृजन	हजार है0	-	-
	2- कुल उपलब्ध शुद्ध सिंचन क्षमता राजकीय लघु सिंचाई द्वारा §राज्य§	,,	0-20	0-[illegible]
	3- वृहत एवं मध्यम सिंचाई द्वारा सिंचन क्षमता का सृजन §राज्य§	,,	0-053	0-054
	4- सिंचन क्षमता का वास्तविक उपयोग			
	क- राजकीय लघु सिंचाई द्वारा §राज्य§	,,	2-015	1-424
	ख- वृहत एवं मध्यम सिंचाई द्वारा	,,	0-915	0-550
14-	**ग्रामीण विद्युतीकरण -**			
	1- विद्युत का उपभोग	कि0वा0घंटे	14554899	14648899
	2- विभिन्न कार्यो में विद्युत का उपभोग			
	क- घरेलू एवं वाणिज्यिक	,,	3149747	318074
	ख- औद्योगिक	,,	4649157	469515
	ग- कृषि कार्य को सम्मिलित करते हुये	,,	605517	61151
	घ- अन्य	,,	6150478	621147
	3- उपरोक्त मदों क से घ में प्रति व्यक्ति उपभोग	,,	22-5	22-7
	4- वितरण लाइनों की लम्बाई			
	§1§ हाईटेंशन लाइन्स			
	§क§ 11 के0वी0	कि0मी0	778-85	30-0
	§ख§ 33 के0वी	,,	131-91	-
	§ग§ अन्य	,,	-	-
	§2§ लोटेंशन लाइन्स	,,	975-371	100-0

1	2	3	4	5
5-(1) विद्युतीकृत ग्राम				
(1) ग्रामों की संख्या (राज्य)		संख्या	136	69
(2) कुल ग्रामों से प्रतिशत (राज्य)		प्रतिशत	22-37	24-30
6- हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण (राज्य)		संख्या	80	60
7- औद्योगिक कनेक्शन				
(1) ग्रामीण		संख्या	147	30
(2) शहरी		,,	48	2
8- विद्युतीकृत ट्यूब वैलों/पम्पसैटों की संख्या				
(1) राजकीय (राज्य)		संख्या	-	-
(2) निजी (,,)		,,	-	4
15- ग्रामीण एवं लघु उद्योग -				
(उद्योग निदेशालय)				
1- लघु उद्योग इकाईयों की संख्या (राज्य)		संख्या	67	[illegible]
2- उपरोक्त लघु उद्योग इकाईयों में लगे व्यक्तियों की संख्या (राज्य)		,,	402	495
3- असंगठित क्षेत्र में लघु उद्योग इकाईयों की संख्या (राज्य)		,,	1230	185
4- औद्योगिक आस्थान-				
(क) अधिगृहित भूमि का विकास (राज्य)		हजार हे०	-	-
(ख) शैडों का निर्माण (राज्य)		संख्या	-	3
(ग) कार्यरत इकाईयां (राज्य)		,,	-	-
16- हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग -				
1- सहकारी क्षेत्र में लाये गये हथकरघों की संख्या (राज्य)		संख्या	-	50
2- बुनकर सहकारी समितियों का गठन (राज्य)		,,	-	1
3- हथकरघा वस्त्र का उत्पादन (राज्य)		लाख मी०	-	2-00
4- रेशम कोया का उत्पादन (राज्य)		कि०ग्रा०	0-004	0-025
5- टसर कोया उत्पादन (राज्य)		,,	0-047	0-250

1	2	3	4	5
17- सड़क (सार्वजनिक निर्माण विभाग)				
	1- नई सड़कों का निर्माण (राज्य)	कि0मी0	1688-5	80-7
	2- पुरानी सड़कों का निर्माण/ सुधार (राज्य)	,,	113-7	134-1
	3- पक्की सड़कों का सार्वजनिक निर्माण विभाग के रखरखाव में	,,	1688-5	80-7
	4- जिला परिषद मार्ग	,,	400-5	-
	5- समस्त ऋतुकालीन सड़कों से जुड़े ग्रामों की संख्या	संख्या	1500	150
18- पर्यटन				
	1- पर्यटन आवास का निर्माण/ विस्तार (राज्य)	संख्या	1	1
	2- कोष्ठकों (राज्य)	,,	48	80
19- शिक्षा -				
	1- बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा			
क- नगरीय -				
	(1) जूनियर बेसिक स्कूल (राज्य)	संख्या	1	1
	(2) सीनियर बेसिक स्कूल ,,	,,	-	-
ख- ग्रामीण				
	(1) जूनियर बेसिक स्कूल (राज्य)	संख्या	55	35
	(2) सीनियर बेसिक स्कूल ,,	,,	18	15
ग- अनुसूचित जाति/जनजाति				
	(1) जूनियर बेसिक स्कूल (राज्य)	,,	-	-
	(2) सीनियर बेसिक स्कूल ,,	,,	1 -	1
घ- शिक्षक/शिष्य अनुपात				
	(1) जूनियर बेसिक स्कूल	अनुपात	1-33	1-33
	(2) सीनियर बेसिक स्कूल	,,	1-21	1-25
ङ- नामांकन				
अ- बालक				
	(1) जूनियर बेसिक स्कूल में आयुवर्ग का	संख्या	0-710	0-712
	प्रतिशत	प्रतिशत	95-58	95-60

1	2	3	4	5
	(2) सीनियर बेसिक स्कूल में आयुवर्ग का प्रतिशत	संख्या लाख में	0-288	0-292
		प्रतिशत	79-3	79-9
	ब- बालिकायें			
	(1) जूनियर बेसिक स्कूल में आयुवर्ग का प्रतिशत	संख्या लाख में	0-410	0-411
		प्रतिशत	60-35	60-38
	(2) सीनियर बेसिक स्कूल में आयुवर्ग का प्रतिशत	संख्या लाख में	0-041	0-042
		प्रतिशत	45-20	45-21
2-	उच्च शिक्षा			
	क- नगरीय-			
	(1) हायर सैकेण्डरी स्कूल (राज्य)	संख्या	7	4
	(2) डिग्री कालेज (,,)	,,	-	-
	(3) विश्वविद्यालय (,,)	,,	-	-
	ख- ग्रामीण -			
	(1) हायर सैकेण्डरी (राज्य)	,,	-	-
	(2) डिग्री कालेज (,,)	,,	1	1
	ग- अनुसूचित जाति/जनजाति			
	(1) हायर सैकेण्डरी स्कूल (राज्य)	,,	-	-
	(2) डिग्री कालेज (राज्य)	,,	-	-
	घ- शिक्षक/शिष्य अनुपात			
	(1) हायर सैकेण्डरी स्कूल	अनुपात	1-26	1-26
	ङ- भर्ती			
	अ- बालक			
	(1) हायर सैकेण्डरी स्कूल में आयुवर्ग का प्रतिशत	संख्या लाख	0-39	0-41
		प्रतिशत	78-0	82-0
	(2) डिग्री कालेज में आयुवर्ग का प्रतिशत	संख्या लाख में	1.1	1.2
		प्रतिशत		
	ब- बालिकायें			
	(1) हायर सैकेण्डरी स्कूल में आयुवर्ग का प्रतिशत	संख्या लाख	0-2	0-3
		प्रतिशत	14-0	15-0
	(2) डिग्री कालेज में आयुवर्ग का प्रतिशत	संख्या लाख	-	-
		प्रतिशत	-	-

1	2	3	4	5
20- प्राविधिक -शिक्षा				
1- डिग्री स्तर की संस्थायें				
(क) संख्या	(राज्य)	संख्या	-	-
(ख) प्रवेश क्षमता	(राज्य)	,,	-	-
(ग) वास्तविक भर्ती	,,	,,	-	-
वर्ष 1980-81 की अनुमानित भर्ती				
2- डिप्लोमा स्तर की संस्थायें				
(क) संख्या	(राज्य)	संख्या	1	-
(ख) प्रवेश क्षमता	,,	,,	60	60
(ग) वास्तविक भर्ती	,,	,,	60	60
3- सर्टीफिकेट स्तर की संस्थायें				
(क) संख्या	(राज्य)	,,	4	-
(ख) प्रवेश क्षमता	,,	,,	740	740
(ग) वास्तविक भर्ती	,,	,,	574	740
21- चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य -				
1- एलोपैथिक अस्पताल एवं औषधालय				
क- राजकीय				
1- नगरीय	(राज्य)	संख्या	-	-
2- ग्रामीण	,,	,,	10	10
ख- अन्य				
1- नगरीय		,,	-	3
2- ग्रामीण		,,	-	-
2- होम्योपैथिक अस्पताल एवं औषधालय				
क- राजकीय				
1- नगरीय	(राज्य)	संख्या	-	-
2- ग्रामीण	,,	,,	1	2
3- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	(राज्य)	,,	-	1
4- सुविधायें				
क- नगरीय				
अ- एलोपैथिक	(राज्य)	,,	-	-
ब- होम्योपैथिक	,,	,,	-	-
ख- ग्रामीण				
अ- एलोपैथिक	(राज्य)	,,	38	40
ब- होम्योपैथिक	,,	,,	-	-

1	2	3	4	5
05- विभिन्न बीमारियों के संबंधित अस्पताल				
(क) टी0बी0 (राज्य)		संख्या	-	-
(ख) फाइलेरिया (,,)		,,	1	-
(ग) छूत की बीमारी (,,)		,,	-	-
(घ) कुष्ट रोग (,,)		,,	-	-
6- परिवार कल्याण				
(क) परिवार कल्याण केन्द्र (राज्य)		,,	5	30
(ख) बन्ध्याकरण				
अ- पुरुष (राज्य)		,,	86	1031
ब- स्त्री (,,)		,,	107	
(ग) आई0यू0सी0डी0 (राज्य)		,,	258	1325
22- आयुर्वेदिक एवं यूनानी				
1- आयुर्वेदिक एवं यूनानी अस्पताल एवं औषधालय				
क- राजकीय				
अ- नगरीय (राज्य)		संख्या	-	-
ब- ग्रामीण (राज्य)		,,	3	4
ख- अन्य				
अ- नगरीय (राज्य)		,,	-	-
ब- ग्रामीण (,,)		,,	-	-
2- शैय्यायें				
क- नगरीय (राज्य)		,,	-	-
ख- ग्रामीण (,,)		,,	12	16
23- जल-सम्पूर्ति (ग्रामीण)				
- पेयजल (ग्राम्य विकास विभाग)				
(क) कुएँ/ डिग्गी (राज्य)		,,	30	31
(ख) हरिजन एवं पिछड़े वर्ग की वस्ती (राज्य)		,,	30	31
(ग) ग्रामों की संख्या		,,	30	31
(घ) लाभान्वित जनसंख्या		हजार में	6-1	6-2

1	2	3	4	5
24-	पिछड़ी, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का कल्याण (हरिजन कल्याण)			
	1- पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्तियां			
	(अ) सामान्य कोर्स			
	क- पिछड़ी जातियां (राज्य)	संख्या	184	211
	ख- अनुसूचित जातियां (राज्य)	,,	718	825
	ग- अनुसूचित जनजातियां (राज्य)	,,	184	211
	(ब) प्राविधिक एवं पेशेवर कोर्स			
	क- पिछड़ी जातियां (राज्य)	,,	13	15
	ख- अनुसूचित जातियां (राज्य)	,,	16	20
	ग- अनुसूचित जनजातियां (राज्य)	,,	-	-
25-	बालाहर कार्यक्रम-(शिक्षा विभाग) (राज्य)			
	1- पूर्व विद्यालीन बच्चे तथा गर्भवती माताएँ	संख्या	2500	2500
26-	पौष्टिक आहार-(ग्राम्य विकास विभाग) (राज्य)			
	1- स्कूल वाटिका की स्थापना तथा रखरखाव	संख्या	5	15
	2- सहयोगी संगठनों के व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा कुक्कुट पालन/बकरी पालन/भेड़ पालन	,,	151	160
	3- सहयोगी संस्थायें जिन्हें साजसज्जा क्रय करने हेतु सहायता दी गई	,,	15	120
	4- मत्स्य पालन के तालाबों का सुधार	,,	1	-
	5- पौष्टिकता में खरखाड़ी तथा गैर सरकारी व्यक्तियों का प्रशिक्षण	,,	190	400
27-	पौष्टिक आहार-(समाज कल्याण विभाग) (राज्य)			
1-			-	-
2-			-	-
3-			-	-

1	2	3	4	5
28- राज्य कृषि औद्योगिक विकास निगम				
1- रासायनिक उर्वरक का वितरण				
(क)	नेत्रजन	(राज्य)	हजार मी0टन	-	-
(ख)	फास्फेटिक	(राज्य)	,,	-	-
(ग)	पोटाश	(राज्य)	,,	-	-
2- कृषि औद्योगिक निगम के माध्यम से उपकरणों का वितरण					
(क)	पम्पसेट	(राज्य)	संख्या	-	-
(ख)	शक्ति चालित टिलर्स	(,,)	,,	-	-
(ग)	ट्रैक्टर्स	(,,)	,,	-	-
29- राज्य भाण्डागार निगम					
(क)	भाण्डागार का निर्माण	(राज्य)	संख्या	-	-
(ख)	निर्माण किये जाने वालों में क्षमता	(राज्य)	हजार मी0टन	-	-
(ग)	कार्यरत भाण्डागार	(,,)	,,	-	-
(घ)	कार्यरत भाण्डागार में क्षमता	(,,)	हजार मी0टन	-	-
30- उद्योग कार्यक्रम					
1- चीनी मिल के कार्यक्रम					
(क)	चीनी मिल				
	अ- संख्या	(राज्य)	संख्या	-	-
	ब- उत्पादन	(,,)	हजार कु0	-	-
	स- रोजगार में लगे व्यक्ति	(,,)	संख्या	=	-
2- लघु उद्योग निगम					
(क)	कार्यरत लघु उद्योग इकाईयां	(राज्य)	संख्या	-	-
(ख)	निर्माणाधीन लघु उद्योग इकाईयां	(,,)	,,	-	-
(ग)	उत्पादन का विवरण				
	अ-			-	-
	ब-			-	-

1	2	3	4	5
3- वस्त्र निगम				
	§क§ कताई मिलों में लगे तकुये	§राज्य§ संख्या	-	-
	§ख§ उत्पादन	§ ,, § हजार कि0ग्रा0	-	-
	§ग§ रोजगार में लगे व्यक्ति	§ ,, § संख्या	-	-
31- जल-सम्पूर्ति §जल निगम द्वारा§				
1- नगरीय जलसम्पूर्ति				
	§क§ नगर	§राज्य§ संख्या	-	2 §आंशिक§
	§ख§ लाभान्वित जनसंख्या	§ ,, § हजार में	-	20-000
2- ग्रामीण जल-सम्पूर्ति				
	§क§ ग्राम	§राज्य§ संख्या	31	138
	§ख§ लाभान्वित जनसंख्या	§ ,, § हजार में	7-750	34-500
3- नगरीय जल निस्सारण				
	§क§ नगर	§राज्य§ संख्या	-	-
	§ख§ लाभान्वित जनसंख्या	§ ,, § हजार में	-	-
32- आवास §आवास एवं विकास परिषद द्वारा§				
	§क§ अल्प आयवर्ग गृह निर्माण	§राज्य§ संख्या	-	-
	§ख§ दुर्बल आयवर्ग गृह निर्माण	§ ,, § ,,	-	-
	§ग§ मध्यम आय वर्गगृह निर्माण	§ ,, § ,,	-	-
	§घ§ भूमि अर्जन	§ ,, § है0 में	-	-
	§ङ§ भूमि विकास	§ ,, § ,,	-	-

वार्षिक योजना 1980-81

रूपपत्र - 3

राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

वित्तीय फॉट (हजार रु० में)

क्र०सं०	कार्यक्रम	वर्ष 1979-80 का वास्तविक व्यय	वर्ष 1980-81 का परिव्यय
1	2	3	4
	पेयजल ग्राम्य विकास		
1-	पर्वतीय जिलों में डिग्गी निर्माण	600-0	745-0
	योग	600-0	745-0
	पौष्टिक आहार		
1-	व्यावहारिक पुष्टाहार कार्यक्रम	108-3	111-2
	योग	108-3	111-2
	ग्रामीण विद्युतीकरण		
1-	ग्रामीण विद्युतीकरण	4052-0	4439-0
	योग	4052-0	4439-0
	सार्वजनिक निर्माण विभाग		
1-	मोटर मार्गों का नवनिर्माण	61180-0	55930-0
2-	मोटर मार्गों का पुन: निर्माण एवं सुधार	25344-0	49068-0
3-	पैदल मार्ग निर्माण	55-0	495-0
	योग	89701-0	125027-0

वार्षिक योजना 1980-81

रूपपत्र- 3

राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

भौतिक फार्ट

क्र०सं०	कार्यक्रम	वर्ष 1979-80 की उपलब्धियाँ	वर्ष 1980-81 के लक्ष्य
1	2	5	6
	पेयजल ग्राम्य विकास		
	1- पर्वतीय जिलों में डिग्गी निर्माण	30	31
	योग	30	31
	पौष्टिक आहार		
	1- स्कूल बाटिका की स्थापना तथा रखरखाव	3	8
	2- सहयोगी संगठनों के व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा कुक्कुट पालन/बकरी पालन/भेड़पालन आदि	103	120
	3- सहयोगी संस्थायें जिन्हें साज-सज्जा क्रय करने के लिये सहायता दी गई	10	90
	4- मत्स्य पालन के तालावों का सुधार	1	-
	5- पौष्टिकता में सरकारी तथा गैर सरकारी व्यक्तियों का प्रशिक्षण	126	300
	ग्रामीण विद्युतीकरण		
	1- निजी पम्पसैटों का सृजन सं0	8	4
	2- ग्रामों का विद्युतीकरण सं0	100	60
	सार्वजनिक निर्माण विभाग		
	1- नई सड़कों का निर्माण कि0 मी0	1688-5	80-7
	2- पुरानी सड़कों का सुधार एवं निर्माण कि0 मी0	113-7	134-1

1	2	3	4
	शिक्षा		
1-	ग्रामीण तथा नगर क्षेत्रों में ज्यूनियर बेसिक स्कूलों के भवन निर्माण हेतु अनुदान	27-0	240-0
2-	ग्रामीण तथा नगर क्षेत्रों में सीनियर बेसिक स्कूलों के भवन निमाणार्थ अनुदान	276-0	500-0
3-	ग्रामीण क्षेत्रों में मिश्रित ज्यूनियर बेसिक स्कूल खोलने हेतु अनुदान	1758-0	1632-0
4-	नगर क्षेत्रों में बालक तथा बालिकाओं के जूनियर बेसिक स्कूल खोलने हेतु अनुदान	15-0	115-0
5-	जूनियर बेसिक स्कूलों में तथा विज्ञान शिक्षण में सुधार एवं विज्ञान सज्जा हेतु अनुदान	77-0	77-0
6-	ग्रामीण क्षेत्रों में छात्र संख्या में वृद्धि तथा स्थिरता हेतु बालिकाओं तथा निर्बल वर्ग के बालकों को पाठ्य पुस्तकों के वितरणार्थ प्रोत्साहन अनुदान	3-0	3-0
7-	ग्रामीण क्षेत्रों में बालकों एवं बालिकाओं के सीनियर बेसिक स्कूल खोलने हेतु अनुदान	2065-0	1180-0
8-	निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के उपलब्धा कराने हेतु सीनियर बेसिक स्कूलों में पाठ्यपुस्तक बैंक स्थापित करने हेतु अनुदान	42-0	42-0
9-	ग्रामीण क्षेत्रों में सीनियर बेसिक स्कूलों के लिये साज-सज्जा हेतु अनुदान	20-0	20-0
10-	निर्बल वर्ग के बच्चों को पोषाण देने की व्यवस्था सं0	-	70-0
	योग	4283-0	3879-0
	चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य		
1-	मातृ एवं शिशु कल्याण सेवायें	15-0	180-0
2-	प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्रों में अतिरिक्त औषाधियों की व्यवस्था	42-0	104-0
3-	उपकेन्द्रों हेतु अतिरिक्त औषाधियों की व्यवस्था	91-0	224-0
	योग	148-0	508-0

1	2	5	6
	शिक्षा		
1-	ग्रामीण तथा नगर क्षेत्रों में जूनियर बेसिक स्कूलों के भवन निर्माण हेतु अनुदान	1	5
2-	ग्रामीण तथा नगरीक्षेत्रों में सीनियर बेसिक स्कूलों के भवन निर्माणार्थ अनुदान	3	5
3-	ग्रामीण क्षेत्रों में मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूल खोलने हेतु अनुदान	55	35
4-	नगर क्षेत्रों में बालक तथा बालिकाओं के जूनियर बेसिक स्कूलखे खोलने हेतु अनुदान	1	1
5-	जूनियर बेसिक स्कूलों में तथा विज्ञान शिक्षण में सुधार एवं विज्ञान सज्जा हेतु अनुदान	257	257
6-	ग्रामीण क्षेत्रों में छात्र संख्या में वृद्धि तथा स्थिरता हेतु बालिकाओं तथा निर्बल वर्ग के बालकों को पाठ्य पुस्तकों को प्रवितरणार्थ प्रोत्साहन अनुदान	960	960
7-	ग्रामीण क्षेत्रों में बालकों एवं बालिकाओं के सीनियर बेसिक स्कूल खोलने हेतु अनुदान	18	15
8-	निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के उपलब्ध कराने हेतु सीनियर बेसिक स्कूलों में पाठ्यपुस्तक बैंक स्थापित करने हेतु अनुदान	85	85
9-	ग्रामीण क्षेत्रों में सीनियर बेसिक स्कूलों के लिये साज-सज्जा हेतु अनुदान	20	20
10-	निर्बल वर्ग के बच्चों को पोषाण देने की व्यवस्था सं0	-	28
	चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य		
1-	मातृ एवं शिशु कल्याण सेवायें सं0	5	15
2-	प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्रों में अतिरिक्त औषाधिालयों की व्यवस्था	14	5
3-	उपकेन्द्रों हेतु अतिरिक्त औषाधियों की व्यवस्था	112	30

1	2	3	4
	आयुर्वेदिक		
1-	ग्रामीण क्षेत्र में आयुर्वेदिक अस्पताल खोलना तथा शाखाओं का गठन	70-0	80-0
	योग	70-0	80-0
	हरिजन कल्याण		
1-	अनाथ एवं परित्यक्त शिशुओं के लिये शिशु सदन की स्थापना	7-5	120-0
2-	बालिकाओं के लिये आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना	54-1	244-0
3-	आदर्श बाल गृह की स्थापना	1-5	200-1
	योग	63-1	564-1
	जल-सम्पूर्ति		
1-	पेयजल सम्पूर्ति	20300-7	21772-3
	योग	20300-7	21772-3

1	2	5	6
	आयुर्वेदिक		
1-	ग्रामीण आयुर्वेदिक अस्पताल खोलना सं0	3	4
2-	ग्रामीण आयुर्वेदिक अस्पतालों में शय्यायें सं0	12	16
	हरिजन कल्याण		
1-	अनाथ एवं परित्यक्त शिशुओं के लिये शिशु सदन की स्थापना	-	-
2-	बालिकाओं के लिये आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना	-	-
3-	आदर्श बाल गृह की स्थापना	-	-
	जलसम्पूर्ति		
1-	पेय जल सम्पूर्ति सं0	31	138

विवरण पत्र- 1

जिले के आधारभूत आँकड़े

क्र0सं0	मद	पाँचवीं पंचवर्षीय योजना तक की प्रगति {31-3-79} की स्थिति	31-3-80 की स्थिति
1-	कुल क्षेत्रफल {वर्ग किलोमीटर}	5461	5461
2-	भौगोलिक क्षेत्रफल प्रतिवेदित हे0हे0	546	546
3-	वनों के अन्तर्गत क्षेत्र ,,	289	289
4-	फलोत्पादन के अन्तर्गत क्षेत्र ,,	19	20-6
5-	शुद्ध बोया गया क्षेत्र ,,	124	106
6-	परती भूमि कुल		
	1- परती भूमि ,,	-	16-4
	2- अन्य परती भूमि ,,	-	-
7-	कृषि योग्य बंजर भूमि ,,	10	10
8-	भूमि जो कृषि के लिये उपलब्ध नहीं है {चरागाह} ,,	42	42
9-	बंजर भूमि जो कृषि के योग्य नहीं है ,,	54	54
10-	भूमि जो कृषि के भिन्न प्रयोग के काम में लाई जाती है,,	8	8

जोतों की संख्या तथा उनके अन्तर्गत क्षेत्र {कृषि गणना 1972 एवं 1977}	संख्या 1972	संख्या 1977	क्षेत्रफल 1972	क्षेत्रफल 1977
1- एक हैक्टेयर तक	59598	165194	39112	150356
2- एक तथा तीन हैक्टेयर के बीच	24982	26825	37122	41335
3- तीन तथा पाँच हैक्टेयर के बीच	1369	1775	5078	6525
4- पाँच हैक्टेयर तथा उससे अधिक	341	406	3009	2966
कुल जोतें	86290	194200	84321	201182

जनसंख्या वर्ष 1971	पुरुष	स्त्री	योग
	310576	338046	648622
पिछड़े जनसमुदायों की जनसंख्या वर्ष 1971-	65256	64819	130075

घनत्व प्रतिवर्ग किलोमीटर - 119

सतत प्रवाहशील नदियां:-

1- नाम:-	रामगंगा	सरयू	कोसी	गोमती	पनार	गगास	स्वाल
2- लम्बाई कि0मी0	80	95	60	36	35	45	30

मिट्टी की मुख्यकिस्मों के अन्तर्गत क्षेत्रफल 1979-80

क- दोमट

ख- एलूवियल अप्राप्त

ग- काली, भूरी व लाल

वार्षिक औसत वर्षा (सि0मी0)

	वर्ष 1977	1978	1979
वार्षिक औसत वर्षा	2251	2809	2292

विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्र (000 हे0)

	पांचवीं पंचवर्षीय योजना तक की प्रगति (31-3-78 की स्थिति)	1979-80 की स्थिति
1- नहरें (नहर विभाग)	2-00	2-02
2- राजकीय लघु सिंचाई (पम्पसेट+हाईड्रम+बैंक)	0-32	0-32
3- लिफ्ट	-	-
4- तालाब	-	-
5- रहट	-	-
6- पक्के कुयें	-	-
7- अन्य (होज+गूल+पम्पसेट) व्यक्तिगत लघु सिंचाई द्वारा	8-95	9-43
कुल सिंचित क्षेत्र (हे0हे0)		
क- शुद्ध	11-27	11-77
ख- सकल	21-96	22-44

महत्वपूर्ण फसलों के नाम/क्षेत्रफल (000हे0)

क- धान	30-0
ख- मक्का	2-0
ग- सोयाबीन	6-6
घ- गेहूं	50-0

औसत उपज प्रति हैक्टेयर {कुन्तल}	जिला 1977-78	राज्य 1977-78
क- गेहूं	11-43	14-62
ख- धान	11-71	10-69
ग- ज्वार	-x	8-18
घ- बाजरा	x	6-70
ङ- मक्का	9-48	7-98
च- कपास {रुई लिंट}	x	0-88
छ- जूट	x	15-78
ज- आलू	84-33	149-86
झ- मूंगफली	17-00	7-42
ट- अन्य तिलहन		
1- लाही/सरसों	3-01	4-68
2- सोयाबीन	10-20	अप्राप्त

महत्वपूर्ण फलों के नाम{1979-80}

नाम	कुल क्षेत्र {हैक्टेयर}	वृक्ष संख्या	उत्पादन मे0टन	औसत दर प्रति कि0ग्रा0	अनुमानित मूल्य{रु0}
1- आम	1645-0	164502	4021-8	3-00	12065400
2- आड़ू	1059-6	221920	2762-3	1-00	2762300
3- आलूबुखारा {पुलम}	994-6	199308	2285-5	1-00	2285500
4- नीबू प्रजाति	2610-7	522148	1708-8	2-00	3417600
5-सेब	5400-6	1079132	6950-3	3-00	20850900
6-नाशपाती	2032-6	386520	4560-5	1-00	4560500
7-लीची	17-4	2242	3-4	3-00	10200
8- नारंगी	3225-8	292590	142-9	7-00	1000300
9-अखरोट	1085-8	211076	2843-4	1-00	2843400
10-अन्य	2576-0	523481	2725-9	1-00	2725900
योग	20648-1	3671639	28005-0	x	52522000

महत्वपूर्ण वन उपज के नाम:-

1- साल
2- चीड़
3- लीसा
4- जड़ी-बूटी

व्यवसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों के नाम :-

क- मैगनाराइट ख- सोफ्टस्टोन ग- लाइमस्टोन

महत्वपूर्ण स्थानीय औद्योगिक उत्पादन 1979-80 :-

क्र0सं0	उत्पादित वस्तु का नाम	इकाई/संख्या	उत्पादित वस्तु का अनुमानित मूल्य (लाख रु0)	उत्पादित मात्रा (मै0 टन)
1-	सोफ्टस्टोन पाऊडर		2-40	200
2-	लकड़ी का फर्नीचर एवं अन्य सामान	40	18-00	x
3-	लोशी	23	1-72	x
4-	कालीन	2 संगठित 200 असंगठित	2-00	x
5-	ऊनी वस्त्र	11	92-00	x
6-	तांबा पीतल के बर्तन	150 असंगठित	15-00	x
7-	फल संरक्षण कार्य	1 संगठित	x	x
8-	रिंगाल की बनी वस्तु	100 असंगठित	1-50	x

रेलवे लाइनों की लम्बाई :-

		पांचवी पंचवर्षीय योजना तक की प्रगति (31-3-78) की स्थिति	वर्ष 1979-80 की स्थिति
1- बड़ी लाइन	कि0मी0	x	x
2- छोटी लाइन	,,	x	x
3- नैरो गैज	,,	x	x

सड़कों की लम्बाई :-

1- समतल	कि0मी0	1234	1688-465
2- असमतल	,,		565-603

बिजली लाइनों की लम्बाई :-

1- एच0टी0 लाइन	कि0मी0	336	908-76
2- एल0टी0 लाइन	,,	445	975-37

पशुगणना / पशुसंख्या:-

पशु	वर्ष 1967	वर्ष 1972	वर्ष 1977
1- दुधारू पशु	210654	100438	117151
2- अदुधारू पशु	217751	313105	399215
3- बकरियां व भेड़े	240038	153759	205367
4- अन्य	155831	40191	1707
योग	824274	607493	723440
कुक्कुट	32266	15093	47817

	31-3-80 की स्थिति
तहसीलों की संख्या	3
विकास खण्डों की संख्या	14
आबाद ग्राम संख्या	2967
गैर आबाद ग्राम संख्या	172
कुल ग्राम	3139

जनसंख्या सहित नगरों /शहरों की संख्या (जनगणना 1971)

10000 से कम	2
10000 -20000 तक	2
20000-50000 ,,	x
50000-100000 तक	x
100000 से ऊपर	x

क्र०सं०	मद	पंचवर्षीय योजना के अन्त तक की स्थिति (31-3-80) की स्थिति	31-3-80 की स्थिति
1	2	3	4
1-	नगरों की संख्या जिनमें बिजली है	3	4
2-	नगरों की संख्या जिनमें पाइप द्वारा जलसम्पूर्ति है	3	4
3-	विद्यालयों की संख्या-		
	क- जूनियर बेसिक स्कूल संख्या	955	1067
	ख- सीनियर बेसिक स्कूल ,,	120	127
	ग- हाई स्कूल एवं इण्टर कालेज संख्या	103	125
	घ- डिग्री कालेज ,,	4	5
	ङ.- विश्वविद्यालय ,,	-	-

1	2	3	4
	प्राविधिक शिक्षण संस्थायें संख्या / प्रवेश क्षमता		
	1- जनार्दन पौलटैक्नीक	1/195	1/195
	2- आई0टी0आई0द्वाराहाट	-/-	1/60
	3- आई0टी0आई0अल्मोड़ा	1/350	1/350
	4- आई0टी0आई0 जैती	-/-	1/150
	5- आई0टी0आई0 काण्डा	-/-	1/45
	योग	2/545	4/800
	अनुसूचित बैंकों की शाखाओं की संख्या		
	1- नगर क्षेत्र में)		9
	2- ग्रामीण क्षेत्र में)	24	18
	सहकारी समितियों की संख्या		
	1- प्राथमिक ऋण सहकारी समितियों की संख्या	107	106
	2- सहकारी यूनियनों की संख्या	22	22
	3- क्रय विक्रय समितियों की संख्या	2	3
	4- सहकारी बैंकशाखाओं की संख्या	13	16
	गोदामों की संख्या/संग्रहण क्षमता		
	क- सरकारी	-/-	-/-
	ख- सहकारी	-/-	-/-
	ग- अन्य	-/-	-/-
	उर्वरक डिपो/ बीज गोदाम		
	(क) कृषि विभाग	243/3565 (झागाडा खोले गये गोदाम अब बन्द कर दिये गये हैं)	15/4555
	(ख) सहकारी विभाग	-/-	-/-
	(ग) कीटनाशक डिपो	14/70	14/70
	राजकीय बीज फार्म		
	1- संख्या	1	1
	2- क्षेत्रफल (हे0)	15	15

1	2	3	4
	पशुपालन -		
1-	पशु चिकित्सालयों की संख्या	17	18
2-	पशु औषधालयों की संख्या	2	2
3-	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की संख्या	51	22
4-	कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्रों की संख्या		27
5-	पशुपाल केन्द्रों की संख्या	50	50
6-	भेड़ फार्म संख्या	2	2
	चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य -		
1-	चिकित्सालयों की संख्या		
	(1) नगरीय	9	9
	(2) ग्रामीण	68	63
	औषधालयों की संख्या		
	(1) नगरीय		1
	(2) ग्रामीण		11
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या	14	14
	शैय्यायें- नगरीय		
	(1) ऐलोपैथिक संख्या	145	158
	(2) आयुर्वेदिक ,,	-	-
	ग्रामीण		
	(1) एलोपैथिक संख्या	274	296
	(2) आयुर्वेदिक ,,	-	-

NIEPA DC
D00011
Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B,Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No. ....11....
Date....19/5/82....